कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर–15)

क्रमांकः–एफ–16 ( ) सचिव / (सा.प्र.) / जननिग्रे / 2022–23 / 197 दिनांक :– 05/05/22

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
3. उपनिदेशक (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

विषयः– नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के प्रथम बोर्ड की साधारण सभा की द्वितीय बैठक दिनांक 18.04.2022 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के प्रथम बोर्ड की साधारण सभा की द्वितीय बैठक दिनांक 18.04.2022 का कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

–sd–

आयुक्त एवं सचिव
साधारण सभा
नगर निगम, ग्रेटर जयपुर।

प्रतिलिपि :– कार्यवाही विवरण की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्री / सुश्री / श्रीमति ....पार्षद वार्ड नं..............ननिग्रेटर जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट) प्रस्ताव सं. 01 का (अ) के कम मे।
3. उपायुक्त गैराज प्रस्ताव सं. 01 का (ब) व (स) के कम मे।
4. उपायुक्त स्वास्थ्य प्रस्ताव सं. 02 का (अ) व (ब) के कम मे।
5. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं सचिव
साधारण सभा
नगर निगम, ग्रेटर जयपुर।

OK

कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर)

नगर निगम, ग्रेटर जयपुर की साधारण सभा (प्रथम बोर्ड) की द्वितीय बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक **18.04.2022** को नगर निगम, ग्रेटर जयपुर की साधारण सभा (प्रथम बोर्ड) की द्वितीय बैठक माननीया महापौर श्रीमति डॉ. सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में प्रातः **11.00** बजे नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के सभासद भवन, लालकोठी मुख्यालय में आयोजित हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण / विधायकगण उपस्थित हुए:–

क्रं. सं.	वार्ड नं.	पार्षद का नाम
1	1	श्रीमति धापा देवी शर्मा
2	2	श्री केसरमल शर्मा
3	3	श्री हरिशंकर बोहरा
4	4	श्रीमति राजू देवी
5	5	श्रीमति संतोष शर्मा
6	6	श्री महेश कुमार अग्रवाल
7	7	श्रीमति संतोष अग्रवाल
8	8	श्रीमति डॉ. सुमन गुप्ता (राजवंशी)
9	9	श्री किशन लाल अजमेरा
10	10	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत
11	11	श्रीमति सजना देवी
12	12	श्रीमति रश्मि सैनी
13	13	श्री रणवीर सिंह राजावत
14	14	श्री सुरेश सैनी
15	15	श्रीमति डॉ. मीनाक्षी शर्मा
16	16	श्रीमति दीपमाला शर्मा
17	17	श्री कमलेश कुमार यादव
18	18	श्री राधेश्याम शर्मा
19	19	श्री बाबूलाल शर्मा
20	20	श्री राजेश गुर्जर

21	21	श्रीमति प्रियंका अग्रवाल
22	22	श्री प्रदीप तिवाडी
23	23	श्री भंवर लाल मालाकार
24	24	श्रीमति रूप कंवर
25	25	श्री सुरेश जांगिड
26	26	श्री दिनेश कॉवट
27	27	श्रीमति प्रेम देवी शर्मा
28	28	श्रीमति दुर्गेश नन्दनी
29	29	श्री लियाकत खान
30	30	श्री मोहम्मद शरीफ
31	31	श्री लादूराम दुलारिया
32	32	श्रीमति नसरीन बानों
33	33	श्रीमति रेखा कूलवाल
34	34	श्री रामकिशोर प्रजापत
35	35	श्री महेश कुमार संघी
36	36	श्री शेरसिंह धाकड
37	37	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता
38	38	श्री सुमेर सिंह
39	40	श्री विजेन्द्र सिंह पाल
40	41	श्री गणेश सिंह नाथावत
41	42	श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत
42	43	श्रीमति अर्चना शर्मा
43	44	श्रीमति सुशीला बारी
44	45	श्रीमति संतोष चौधरी
45	46	श्रीमति रामजानकी शर्मा
46	47	श्री विकास बारेठ
47	48	श्रीमति कुमकुम शक्तावत
48	49	श्री सुरेश कुमार रैगर
49	50	श्रीमति संजू देवी चौधरी

50	51	श्रीमति सुखप्रीत बंसल
51	52	श्री विनोद चौधरी
52	53	श्री गजेन्द्र सिंह चिराणा
53	54	श्री प्रवीण कुमार यादव
54	55	श्री अक्षत खुँटेटा
55	57	श्री निशांत सुरोलिया
56	58	श्री इन्द्र प्रकाश धाबाई
57	59	श्री मदन लाल शर्मा
58	60	श्रीमति शील धाबाई
59	61	श्रीमति राखी राठौड
60	62	श्री विजेन्द्र सैनी
61	63	श्री पीयूष किराडू
62	64	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
63	65	श्री राम सिंह चौधरी
64	66	श्री अशोक बोहरा
65	67	श्री गणेश नारायण जाट
66	68	श्री हरीश कुमार शर्मा
67	69	श्री आशीष शर्मा
68	70	श्री रामावतार गुप्ता
69	71	श्री मुकेश शर्मा
70	73	श्री अरूण कुमार वर्मा
71	74	श्रीमति हेमा सिंघानिया
72	75	श्रीमति भारती लख्यानी
73	76	श्री शक्ति प्रकाश यादव
74	77	श्रीमति सीमा गुप्ता
75	78	श्री रविकांत उपाध्याय
76	79	सुश्री कुमकुम शर्मा
77	80	श्री नवीन खटीक
78	81	श्री जय वशिष्ठ

79	82	श्री मनोज कुमार तेजवानी
80	83	श्री शंकर बाजडोलिया
81	84	श्री अभय पुरोहित
82	85	श्री हरिओम स्वर्णकार
83	86	श्री दामोदर मीना
84	87	**श्रीमति डॉ. सौम्या गुर्जर (महापौर)**
85	88	श्रीमति माया देवी वाल्मिकी
86	89	श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा
87	91	श्री आशीष परेवा
88	92	श्रीमति ज्योति सैनी
89	93	श्री दिव्या सिंह
90	94	श्रीमति दीपिका सैनी
91	95	श्रीमति रतन कंवर
92	96	श्री शिवराज गुर्जर
93	97	श्रीमति सन्नू चौधरी
94	98	श्री हेमराज बैरवा
95	99	श्री रमेश शर्मा
96	100	श्री राजीव चौधरी
97	101	श्री मोतीलाल मीना
98	102	श्री महेन्द्र शर्मा
99	104	श्री अरूण शर्मा
100	105	श्रीमति आशा सिंघाडिया
101	106	श्री कैलाश मीना
102	107	श्री अंकित वर्मा
103	108	श्री नवल किशोर धनवाड़िया
104	109	श्रीमति कृष्णा मीना
105	110	श्री दीपक असवाल
106	111	सुश्री काजल भीमवाल
107	112	श्री किशनलाल मौर्य

108	114	श्रीमति शाहिना बानो
109	115	श्री विनोद शर्मा
110	116	श्रीमति श्रवणी देवी
111	117	श्री रामस्वरूप मीना
112	118	श्रीमति ममता शर्मा
113	120	श्री छोटूराम मीणा
114	121	श्री सुभाष चन्द शर्मा
115	122	श्रीमति छोटा देवी मौर्य
116	123	श्री रामकिशोर सोयल
117	124	श्रीमति विमला शर्मा
118	125	श्री रामप्रसाद शर्मा
119	126	श्री ओमप्रकाश स्वामी
120	127	श्रीमति जयश्री गर्ग
121	128	श्री पुनीत कर्णावट **(उपमहापौर)**
122	129	श्री महेश सैनी (बच्चू)
123	130	श्रीमति राजुला सिंह
124	131	श्री गोविन्द सिंह छीपा
125	132	श्रीमति ममता देवी
126	133	श्री रमेश चन्द
127	134	श्री करण शर्मा
128	135	श्री राजेश कुमावत
129	136	श्रीमति उषा टाटीवाल
130	137	श्री दिनेश कुमार गौड
131	139	श्री लक्ष्मण सिंह नूनीवाल
132	140	श्रीमति तारा बेनीवाल
133	141	श्री अभिषेक सैनी
134	142	श्री हिमांशु जैन
135	144	श्री महेन्द्र पाल सिंह
136	145	श्री नरेश शर्मा

137	146	श्री कविता कटियार
138	147	श्री भरत कुमार
139	148	श्री महेश सैनी
140	149	श्रीमति स्वाति परनामी
141	150	श्री जितेन्द्र श्रीमाली
	माननीय विधायक का नाम	
1	बगरू विधान सभा	श्रीमति गंगा देवी

सर्वप्रथम महापौर महोदया एवं पार्षदगणों द्वारा राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" गाया गया। इसके बाद महापौर महोदया द्वारा सदन को सूचित किया गया है :– मुझे सदन को यह सूचना देते हुए दुःख है कि **(1)** श्रीमती लता मंगेशकर प्रख्यात गायिका **(2)** श्री बिपिन रावत, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ **(3)** श्रीमती जमना देवी बारूपाल, पूर्व सांसद, **(4)** श्री गंगाराम कोली, पूर्व सांसद **(5)** श्री श्याम सुन्दर सोमानी, पूर्व सांसद **(6)** श्री बृजराज सिंह, पूर्व सांसद **(7)** श्री डी.एन. पाटोदिया, पूर्व सांसद **(8)** श्री रामचन्द जाट, राजस्थान विधानसभा पूर्व उपाध्यक्ष **(9)** श्री जयनारायण पूनिया, पूर्व मंत्री **(10)** श्री महिपाल मदेरणा, पूर्व मंत्री **(11)** श्री मोहन लाल चौहान, पूर्व विधायक **(12)** श्री कमलराम कोली, पूर्व विधायक **(13)** श्री जीतमल जैन, पूर्व विधायक **(14)** श्री रामकरण चौधरी, पूर्व विधायक **(15)** श्री हीरालाल खांट, पूर्व विधायक **(16)** श्री गोवर्धन सिंह, पूर्व विधायक **(17)** श्री सूरजमल, पूर्व विधायक **(18)** श्री भगराज चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री **(19)** श्री महेन्द्र प्रसाद, पूर्व सांसद **(20)** श्री महेन्द्र ढलेत, वार्ड नं. 57 नगर निगम, जयपुर हैरिटेज **(21)** श्रीमति माया देवी, वार्ड नं. 97 नगर निगम, जयपुर हैरिटेज **(22)** श्री महेन्द्र चन्द सोयल, वार्ड नं. 66 नगर निगम, ज़यपुर हैरिटेज **(23)** श्री संकल्प यादव, मेजर की शहादत पर **(24)** गुवाहटी–बीकानेर एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के मृतक **(25)** कर्नल श्री किरोडी सिंह बैंसला, समाज सेवी **(26)** क़ोटा के नयापुरा पुलिया हादसे में मृतक **(27)** उदयपुर झाडोल मार्ग पर हुए हादसें में मृतक **(28)** जोधपुर के बिलाडा क्षेत्र में हुए सडक हादसें में मृतक **(29)** चम्बल नदी में कार गिरनें से हुई दुर्घटना में मृतक **(30)** जैसलमेर के रामगढ क्षेत्र में हुई सडक दुर्घटना में 5 लोग मृतकों को श्रद्धांजलि का निधन हो गया है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिवार को यह दुखः सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करे।

"ओम शांति"

इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।

10 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई, तत्पश्चात् महापौर महोदया द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

(मांन जी)

महापौर महोदया – सदस्य सचिव आप देख लीजिये की कोरम पूरा हो गया है क्या? जिस पर लेखाकार द्वारा गणना कर अवगत कराया गया कि कोरम पूरा है। इसके बाद महापौर महोदया द्वारा प्रस्ताव पढ़नें हेतु निर्देशित किया गया। इस पर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रस्ताव को पढ़ा गया :–

प्रस्ताव संख्या 1

सफाई कार्य योजना–सात जोनों के लिए पृथक–पृथक जोनवार घर–घर कचरा संग्रहण से कचरागाह तक कचरा परिवहन कार्य की निविदाओं की बोर्ड की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।

प्रस्ताव सं. 01 (अ)

क्र. सं.	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण	घर–घर कचरा संग्रहण कार्य की निविदा की बोर्ड की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत कार्य योजना सात जोनो के लिए पृथक–पृथक
1.	वित्तीय प्रभार	राशि 229.41 करोड़ रूपये (सात जोनों को लिये) पांच वर्ष के लिए पृथक–पृथक विस्तृत विवरण अनुसार।
2.	बजट प्रावधान	वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर (साधारण सभा) से प्राप्त की जानी है।
3.	प्रकरण पर विधिक राय	कार्य योजना अनुमोदन समिति के सदस्य निदेशक विधि द्वारा अभिशंषित है।
4.	आयुक्त की राय	नवीन कार्य योजना के तहत नगर निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्र के सातों जोन में पृथक–पृथक निविदा द्वारा घर–घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन कार्य करवाया जाना है।
5.	अन्य विवरण	प्रथम तीन वर्ष के लिये तैयार आर.एफ.पी. अनुसार सातों जोन के लिये 133.56 करोड़ रू. का व्यय सम्भावित है एवं उसके पश्चात् संवेदक का कार्य संतोषजनक रहने पर आपसी सहमति से (01+01) दो वर्षो तक कार्यावधि बढाने पर 95.85 करोड़ रू. सहित पांच वर्षो हेतु सम्भावित कुल व्यय राशि 229.41 करोड़ रू. है। इस हेतु आदेशानुसार बिड डाक्यूमेन्ट के परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा सर्वसम्मती से बिड डाक्यूमेन्ट का अनुमोदन एवं 229.41 करोड़ रूपये (सात जोनों को लिये) पांच वर्ष के लिए की कार्य योजना को साधरण सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रेषित किया गया हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

जोन का नाम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल राशि रू. करोड़ में	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	कुल राशि रू. करोड़ में (05 वर्ष के लिए)
Murlipura	5.49	5.65	5.82	16.97	6	6.18	29.15
Vidhyadhar	4.95	5.1	5.25	15.3	5.41	5.57	26.28
Mansarovar	6.32	6.51	6.7	19.53	6.91	7.11	33.55
Jagatpura	6.78	6.98	7.19	20.96	7.41	7.63	36
Sanganer	4.86	5.01	5.16	15.02	5.31	5.47	25.8

			Jhotwara	8.04	8.28	8.53	24.85	8.79	9.05	42.69
			Malviya Nagar	6.77	6.97	7.18	20.93	7.4	7.62	35.95
			कुल राशि रू.	43.21	44.51	45.84	133.56	47.22	48.63	229.41
		उपरोक्तानुसार प्रस्ताव साधारण सभा के समक्ष विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। (विस्तृत विवरण सलंग्न)							

प्रस्ताव सं. 01 (ब)

1. कार्य का संक्षिप्त विवरण	:	नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डो से स्वीपिंग व अन्य वेस्ट संग्रहण एवं परिवहन कार्य
2. वित्तीय प्रभार	:	रु. 5.49 करोड व रु. 9.60 करोड
3. बजट प्रावधान	:	2022-23
4. मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किसी धारा अथवा नियम के अन्तर्गत वांछनीय	:	
5. कार्य के संबध में विधि अधिकारी की राय	:	आवश्यकता नही।
6. उपायुक्त की राय	:	नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डो से स्वीपिंग व अन्य वेस्ट संग्रहण एवं परिवहन हेतु निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत है जिनकी वार्षिक दर संविदा सम्पादित किये जाना प्रस्तावित है :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	राशि
A	नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डो से स्वीपिंग व अन्य वेस्ट संग्रहण एवं परिवहन कार्य हेतु निगम स्वामित्व के कुल 113 हूपर वाहनों का संचालन एवं रखरखाव (O & M) करने (अनुमानित रु. 26,000/- प्रतिमाह प्रतिवाहन) तथा शेष वार्डो हेतु 37 नग हॉपर वाहन (अनुमानित रु. 38,000/- प्रतिमाह प्रतिवाहन) किराये पर लिये जाने हेतु।	रु. 5.49 करोड़
B	घर-घर कचरा संग्रहण के अतिरिक्त प्रत्येक वार्डो से कचरा पाईन्ट की सफाई, स्वीपिंग व अन्य वेस्ट Portable Vaccum Operated Garbage Cleaning Machine (Litter picker) से करके जोन में स्थित ट्रांसफर स्टेशन तक कचरा परिवहन किये जाने हेतु 30 नग Portable Vaccum Operated Garbage Cleaning Machine (Litter picker) व इनके साथ 15 ट्रेक्टर ट्रॉली किराये पर लिये जाने हेतु।	रु. 9.60 करोड

अतः उपरोक्त दोनो कार्यो के संबंध में निर्णय एवं तदानुसार क्रमशः राशि रु. 5.49 करोड व रु. 9.60 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु साधारण सभा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव सं. 01 (स)

1. कार्य का संक्षिप्त विवरण	:	नगर निगम ग्रेटर के सभी जोनो के ट्रांसफर स्टेशन से कचरागाह तक कचरा तथा मिट्टी मलबा परिवहन के कार्य
2. वित्तीय प्रभार	:	रु. 9.12 करोड
3. बजट प्रावधान	:	2022-23
4. मण्डल की स्वीकृति	:	

अधिनियम की किसी धारा अथवा नियम के अन्तर्गत वांछनीय		
5. कार्य के संबध में विधि अधिकारी की राय	:	आवश्यकता नही।
6. उपायुक्त की राय	:	नगर निगम ग्रेटर के सभी जोनो के ट्रांसफर स्टेशन (प्रत्येक जोन में दो) से कचरागाह तक कचरा (सूखा, गीला) तथा मिट्टी मलबा परिवहन के कार्य हेतु वजन आधारित वार्षिक दर संविदा निम्नानुसार किये जाना प्रस्तावित है :-

क्र सं	जोन का नाम	अनुमानित व्यय प्रतिवर्ष
1	मुरलीपुरा जोन	100 lacs
2	विद्याधर नगर जोन	97 lacs
3	झोटवाडा जोन	119 lacs
4	मानसरोवर जोन	120 lacs
5	सांगानेर जोन	152 lacs
6	जगतपुरा जोन	154 lacs
7	मालवीय नगर जोन	170 lacs
	कुल	**912 lacs**

अतः उपरोक्त कार्य हेतु राशि रु. 9.12 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु साधारण सभा प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

श्री लादूराम दुलारिया – मैडम इस मामले में मैं प्रस्ताव रखने से पहले विचार रखना चाहता हूँ, मैं इजाजत चाहता हूँ

महापौर महोदया – दुलारिया जी पहले प्रस्ताव नं. 1 पर चर्चा कर ली जाये अगर आप बीच में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं।

श्री लादूराम दुलारिया – अगर चर्चा कर ली जाये तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्रीमति राखी राठौड़ – आप एक तरीका बताईये ये बोलेंगे फिर हम भी बोलेंगे आप तरीका बताईये कि किस तरह से सदन को चलाना है, ये तय करना पडेगा अपन सब को

महापौर महोदया – देखिये प्रस्ताव नं0 1 पूरा होते ही, फिर चर्चा कर लेंगे। प्रस्ताव नं. 2 पूरा होते ही फिर से चर्चा कर लेंगे। बीच–बीच में चर्चा आपकी लेते रहेंगे। अभी पढ़ लिया है तो इसको पूरा कर लेते है और इस प्रस्ताव पर भी चर्चा कर ली जायेगी। उसके बाद भी आप अपना जो विषय है वो आप रख सकते है। तो इस विषय पर प्रस्ताव है ना आप खुल्ली चर्चा कीजिए आप आमंत्रित है।

श्री लादूराम दुलारिया – आपके द्वारा हमारे जो सुझाव मांगे गये है इस संबंध में चर्चा है अब ठीक है आप आसन ने व्यवस्था दे दी, दूसरे नम्बर पर कर लूंगा।

महापौर महोदया – प्रस्ताव 1 पर जो है आप चर्चा करिये।

श्री अभय पुरोहित – सम्माननीय महापौर महोदय, उपस्थित सभी सभासद् भवन में उपस्थित मेरे पार्षद साथीगण, नगर निगम ग्रेटर जयपुर की द्वितीय साधारण सभा में आप सभी का स्वागत है।

28 जनवरी, 2021 को इसी सदन के अन्दर हम सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से 150 में से 150 पार्षदों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि जिस प्रकार से बी.वी.जी. का कार्य है इस प्रकार बी.वी.जी. को कार्य करने का अधिकार नहीं है जो जयपुर में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फैल हो चुकी हैं। 30 कार्यदिवस के अन्दर बी.वी.जी. को बाहर का बाहर का रास्ता दिखाकर, और नई व्यवस्था बनाने का संकल्प और प्रस्ताव हम सभी ने यहा से पारित किया था। लगभग 600 से अधिक नोटिस बी.वी.जी. को दिये, सफाई समिति की A.B.C. तीनों की एक संयुक्त बैठक हुई और उस बैठक के अन्दर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बी.वी.जी. को यहा से बाहर का रास्ता दिखाना ही एक बेहत्तर विकल्प हो गया, उसके पश्चात् अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए जोन–वाईज टेण्डर करने का एक निर्णय लिंया गया। मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी है कि जो टेण्डर किया गया उसके अन्दर बहुत नई व्यवस्थाऐं रखी गई है। पहले की जैसे एक ही कम्पनी को पूरे नगर निगम ग्रेटर जयपुर का एक टेण्डर कर दिया गया था ऐसा इसमें नहीं रखा गया है, जोन–वाईज इसके अन्दर टेण्डर किये जायेंगे, जिससे कि एक बेहतर प्रतिस्पद्धा आने वाली जो निजी कम्पनियॉ है उसके मध्य हो और किसी भी कम्पनी को 2 से अधिक जोनों में काम नहीं दिया जायेगा। अगर किसी कारणवश, किसी जोन के अन्दर काम बाधित होता है तो शेष अन्य जोनों के अन्दर काम बाधित नहीं हो, इसके पीछे ऐसी मंशा रही हैं। अबकी बार जो डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण का प्रस्ताव बनाया है, अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके अन्दर जो संवेदक होगा उसको टनऐज के आधार पर नहीं, घरों से जो कलेक्शन डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण करेगा, जैसा मानलीजिए एक वार्ड के अन्दर 2000–2500 घरों के अन्दर कचरा संग्रहण किया है तो उसी का भुगतान होगा। पहले की जो पूर्व की व्यवस्था थी उसको टनऐज की आधार पर भुगतान होता था तो उसमें कई गलतियां कई उसका दुरूपयोग सामने आया है इसलिए अबकी बार यह रखा गया कि प्रत्येक घरों से उठाये जाने पर ही उसको कचरे का भुगतान किया जायेगा, प्रत्येक घरों में जोन–वाईज टेण्डर किये जा रहे हैं उसमें प्रत्येक घरों में आर.एफ.आई.डी. 90 दिन के अन्दर नये संवेदक को लगानी होगी, रूटमैप पूरा तैयार कर के संवेदको के जो टेण्डर आर.एफ.पी. जो बनाई गई हैं उसके अन्दर लिया जा रहा है और न्यूनतम प्रत्येक वार्ड के अन्दर 4 से 5 हुपर उसके अन्दर रखे गये हैं जब हुपर आपके घर पर आयेगा, वार्ड में जब उस आर.एफ.आई.डी. से कार्ड को स्वैप करेगा, स्वैप करते ही जो यूजर होगा उसके पासमें मैसेज जायेगा कि आपका कचरा उठा लिया गया है, अगर उसे किसी भी प्रकार से ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है तो उसमें एक विकल्प आयेगा जिसमें आप उसे सूचित कर सकते है, प्रत्येक जोन पर हर वार्ड की मौनेट्रिंग का प्रावधान इसके अन्दर रखा गया है कचरा नहीं उठाने पर उसको नुकसान ये जितने घरों का कचरा उठा रहा है और

जितने आर.एफ.आई.डी. से स्केन हुआ है वो स्केन होने के बाद में उसकी डेली एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बनने के बाद रिपोर्ट सम्मिट होगी और उसी के आधार पर उसको भुगतान किया जायेगा। गीला और सुखा कचरा दोनो अलग–अलग रखा जायेगा। पूर्व बी.वी.जी. के पास बहुत सारे काम थे अबकी बार जो आर.एफ.पी. तैयार की गई है इसके अन्दर जो संवेदक होगा वो सीधा प्रथम घर से यूजर के घर से कचरा उठायेगा और सैकेण्ड्री डिपो पर लाकर रख देगा, हमने हमारे वार्डो के अन्दर परेशानी का सामना किया है, जगह–जगह ओपन डिपो पड़े रहते थे, ओपन डिपो उठते नहीं थे उसके लिए अबकी बार अलग व्यवस्था की है। जो भी संवेदक होगा उसको घर से कचरा उठाने का और सैकण्डरी पाईंट पर डालने का ही कार्य दिया गया है जो हमारे कर्मचारी साथी है सफाई कर्मचारी बन्धु है वो जो रोड़ स्वीपिंग करेंगे उसकी जो ढेरी लगेगी, जो घरों से निकलने वाली बड़ा ग्रीन वेस्ट होगा, जो बाल्टी में या डस्टबिन में नहीं आ सकता उसको और सी.एण्ड डी. वेस्ट इन तीनों को अलग–अलग उठाने के लिए अलग–अलग ऐजेन्सी होगी। जो अभी प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रत्येक वार्ड में अन्दर 3 और 4 हुपर जहां की जनसंख्या हाउस होल्ड हो उसके अतिरिक्त एक हुपर दिया जायेगा जिसके अन्दर एक हेल्पर हो और एक ड्राईवर होगा। पूरे दिन ये आपके पास में हुपर आपके वार्ड में रहेंगा जो आपके एस.आई. और पार्षद के दिशा–निर्देश पर कार्य करेगा। जिसमें उसको अपने कर्मचारियों से किसी प्रकार सफाई की तामील करवानी है, जो रोड़ स्वीपिंग का कचरा हमारे कर्मचारी साथियों ने इक्कठ्ठा किया है वो उनको उठायेगें, जो बड़ा ग्रीन वेस्ट होगा वो उसको उठायेंगे। गार्डन में पडे हुए वेस्ट के लिए भी हम लोग बहुत परेशान रहते थे इसलिए अबकी बार ये प्रावधान किया गया है कि जो गार्डन के ठेके होंगे उसमें गार्डन को जो ग्रीन वेस्ट होगा उसमें गार्डन के संवेदक की जिम्मेदारी होगी कि वे उसे ओपन डिपो तक पहुचायेगा। ओपन डिपो सैकेण्ड्री पोईन्ट से लेकर इस प्रकार जो व्यवस्था की गई हैं उसमें संवेदक के उपर रोड़ स्वीपिंग, ओपन डिपो और इसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी वो सिर्फ घर से डोर–टू–डोर करेगा और सैकेण्ड्री पोईन्ट पर डालेगा।

मैकेनाईज स्वीपिंग के लिए जो ओपन डिपो होंगे उसमें मशीनों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था का डेमोस्ट्रेशन गैराज से कुछ दिन पहले किया गया था और सफाई शाखा ने विधानसभा के पीछे उसकी देखा है बहुत जल्दी उसको ला रहे हैं कि वेक्यूम, एक सड़क से पूरे कचरे को इक्कटठा कर लेता है उसकी व्यवस्था की जा रही है। बात में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण की कर रहा हूँ उसके बाद सैकेण्ड्री पाईन्ट से जो हमारा बड़ा डिपो है वहां पर भेजने के लिए अलग संवेदक होगा। जो टनऐज के आधार पर दोनों जगह वेईंग मशीन होगी वहां पर तुलेगा और तुलकर वहा पर जायेगा। जयपुर शहर की डोर–टू–डोर व्यवस्था को बहतर और सुद्वढ़ करने के लिए ये प्रस्ताव आप सब के समक्ष यहां पर आया है और उसके लिए पूरा तैयार कर ली गई है सिर्फ

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति और बोर्ड की स्वीकृति शेष रही है जितनी जल्दी यहां से आज अगर स्वीकृति आप सदस्यों के द्वारा मिलती है तो शीघ्र ही नई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए हम लोग तैयार है। जो बी.वी.जी. की बात रही हैं, बी.वी.जी. ने काम करने के लिए अपनी तरफ से मना भी कर दिया है जब कोर्ट से स्टे हटा, एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिस प्रकार हैरिटेज में व्यवस्था बिगड़ी बी.वी.जी. के हटाने क बाद सफाई व्यवस्था को और जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है उसको देखते हुए यह तय किया गया कि हाल फिलहाल जिस प्रकार ये काम कर रहे है उसी प्रकार कन्टिन्यू रखे। आज आप सब के समक्ष ये प्रस्ताव है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस प्रस्ताव पर चर्चा करे, जो सुझाव है सुझाव सफाई समिति, उपमहापौर साहब इनके द्वारा जो रखा गया है इसमें सम्मिलित किये गये हैं फिर भी अगर है तो विचार सब के लिए खुल्ले हैं। आप रखे और मै आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़े और इसको स्वीकृत करे। धन्यवाद।

महापौर महोदया – आप भी इसमें जो भी सुझाव देना चाहते है इसमें चर्चा करना चाहते हैं सुझाव देना चाहते है तो आप एक काम कर सकते है पर्ची के माध्यम से इधर से और उधर से जो जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं आप भी अपनी पर्चीयां दे दीजिये, जो जो बोलना चाह रहे है पर्चीयां दे दीजिए।

श्रीमति राखी राठौड़ – मेरा निवेदन था कि 2 इधर से क्योंकि हम संख्या के हिसाब से इधर से ज्यादा है 2 इधर से बुलवा दीजिए 1 उधर से बुलवा दीजिए, बाकि आप जो तय करें।

महापौर महोदया :– इस विषय पर बोलने के लिए आप अपनी पर्चीया दे दीजिए इसका कम निर्धारित करके और इस बात का ध्यान रखे की पुनरावर्ती नहीं करे, जो बात बोल चुके है उसको दुबारा नहीं बोले और जो इस विषय पर 1, 2, 3 जो अच्छा बोल सकते हैं वो आप इस विषय पर दीजिए क्योंकि आगे और भी ऐजेण्डा है उस पर लोग अलग अलग लोगो को सबको बोलना है और सबको बोलने का समय दिया जायेगा इस बोर्ड बैठक में और अगर आप शांतिपूर्वक अच्छे से बोर्ड बैठक चलायेगे और आप चाहते है कि सकारात्मक चर्चा होकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के जनवासियों को जनता को अगर सुविधाऐं उपलब्ध करवाये तो ये बोर्ड बैठक 2 दिन 3 दिन जब तक आप चाहेंगे तब तक चलाई जायेगी।

श्री लादूराम दुलारिया – मेरा ये निवेदन की आप के द्वारा पर्चीयां चाही गई हैं पर्ची की क्या आवश्यकता है।

महापौर महोदया – आप दे देंगे तो सरलीकरण हो जायेगा। पहले पर्चीयां दे दे इधर से भी आ जायेगी जो जो बोलना चाहेंगे। लादूराम दुलारिया जी आप इस विषय पर बोलिये। आपसी वार्तालाप............

श्री लादूराम दुलारिया – महापौर महोदया चेयरमेन साहिबान, डिप्टी महापौर साहब आपके द्वारा सफाई के संबंध में जो प्रस्ताव लाये है और आपने इस संबंध में सम्पूर्ण रूप से जानकारी दी हैं मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? ये क्या गारंटी है क्या? दूसरी बात, बी.वी.जी. कम्पनी की शर्ते कैसी थी कैसी नहीं थी उसको तो सभी पार्षद साहिबान हटाना चाह रहे थे हटा रहे हैं दूसरा सुझाव मेरा यह है मेडम साहिबा से की कम से कम की हटाने से पहले इसकी व्यवस्था जरूर कर ले। क्योंकि व्यवस्था बिगडेगी, व्यवस्था चरमरा जायेगी।

महांपौर महोदया – इसको नोट किया जाये।

श्री लादूराम दुलारिया – सफाई व्यवस्था एक ऐसी चीज है ठीक है आज ये बात है हमने पारित कर दिया, अपने चेयरमेन साहब ने प्रस्ताव रख दिया, अच्छी बात है सदन पूरी तरह से सहमत ही होगा। पर जो इसमें कमियां है जैसे मैं तो केवल इतना सा पूछना चाह रहा हूँ, वो 2 पोइन्ट मैने बताये कृपया उसके मामले में मेरे को सन्तुष्ट करे। चेयरमेन साहब मैने आपसे पूछा है कृपया ये बताये जाने का कष्ट करें कि क्या इसमें कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा?

श्री अभय पुरोहित :– एकबार पहले आप सभी के आ जाये फिर अन्त में मैं जवाब दे दुंगा इसको अपन मैन टू मैन रखेगें तो दिक्कत हो जायेगी।

श्री लादूराम दुलारिया – ये वाजिब बात है मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ओके सर।

महापौर – अच्छा राखी जी

श्रीमति राखी राठौड़ – सफाई का जो प्रोब्लम है मैम मुझे लगता है यहा बैठे हुए सभी सदस्य जो फोटो दिखा रहे थे उनके अलावा हम सब भी इस बात का समर्थन करते है कि सफाई का प्रोब्लम मेजर प्रोब्लम है मै धन्याद देना चाहूँगी आपको, डिप्टी मेयर को और तीनों चेयरमेनों को कि एक नया प्रस्ताव एक नया अध्याय हम लिखने जो रहे है जिस तरह से चिप के साथ मे एन्ट्री की जा रही है जिस तरह से समयबद्ध तरीके से काम किया जा रहा, मुझे लगता है कि आज जयपुर शहर का जरूरत ऐसे ही प्रस्ताव की थी और अगर ये ग्राउण्ड लेबल पर आ जाता है, अगर वर्ड में इसलिए यूज कर रही हूँ कि होता क्या है कि हम लोग तो ये चाहते है यहॉ पर कोई बैठा यह नहीं चाहता है कि प्रस्ताव जो है ग्राउण्ड लेबल पर नहीं आये पर अलटीमेटली ज़ब उसका इम्पलिमेटेशन होता है उसमें कई तरह की खामिया आती है और जो अभी आप जो फरमा रहे थे बिल्कुल सही बात है, हैरिटेज नगर निगम ने यह गलती की, बिना सौचे बी.वी.जी. को टरमिनेट किया, उसके बाद हमने देखा कि क्या हालात हुए, मुझे लगता है कि ये दूरदर्शिता ग्रेटर नगर निगम निभायेगा और जब तक ये पूरा ग्राउण्ड लेबल तक इम्पलिमेन्ट नहीं होता तब तक हम इसको लेकर नहीं आयेंगे। दूसरी बात ये मैम कुछ चीजे चाहिए सफाई के लिए जिसे यूनिफार्म ऑफ स्टॉफ कही बहुत ज्यादा है, कही बहुत कम है मैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ बहुत

कम कर्मचारी वहां पर लगे हुए है आज सुबह फोन आया कि हम लोग इतने कम कर्मचारियों के साथ में काम नहीं कर सकते झाडू नहीं लगा सकते, इस समय पतझड का मौसम है आप सब भी जानते है कि सड़को पे आज झाडू लगाते है शाम को आंधी आ रही थी, कल भी आ रही थी और सुबह देखते है कि वहीं हालत है मेरा आपसे रिकवेस्ट है कि इन कामों के साथ—साथ हमलोग सफाई कर्मचारी का यूनिफार्म डिस्टीब्यूशन की व्यवस्था करे। दूसरा एक मापदण्ड भी तय होना चाहिए मुझे लगता है कि आम सभा की बैठक इस बात को भी तय करे कि जो सफाई कर्मचारी हमारे लगाये जा रहे है एक तो 80—100 मीटर तक सफाई करेगा, दूसरा एक किलोमीटर तक सफाई करेगा ये एक मापदण्ड तय हो। जिसके अनुसार हम उसे अगर हो सकता है तो एप्रिशियेट भी करे प्राईज भी दे, मतलब जो ज्यादा काम करे उसको एनक्रेजमेन्ट मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह कि प्रतिस्पद्धा अगर होगी तो लोग जो हमारे आगे, हमारे सफाई कर्मचारी भी आगे से आगे काम करना चाहेंगे। मैम एक मेजर प्रोब्लम और भी है कि एक स्टाफिंग पेटर्न की आवश्यकता है अभी हो क्या रहा है मैं पिछले कई सालो से नगर निगम में देख रही हूँ पहले स्टाफिंग पेटर्न हुआ करता था जिससे कि आपकी सीनियर्टी के हिसाब से आपका परमोशन हुआ करता था लेकिन आज स्थिति यह है कि सीनियर्टी के हिसाब से परमोशन नहीं होता, जब हम सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं मैं माननीय सदस्यों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस बात को फेवर करे कि जो सीनियर्टी है उसकी हिसाब से आना चाहिए बन्दा होता क्या है कि नीचे से उपर आ जाता है उसके नीचे जो सीनियर आदमी है वो काम नहीं करना चाहता। अल्टीमेटली भुगतता कौन है पार्षद और जनता। तो एक स्टाफिंग पेटर्न की आवश्यकता है जिससे की सीनियोरिटी के हिसाब से हम लोगों को ला सके। तीसरा मैंम मैने जैसे पहले भी कहा कि प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। अभय जी ने और यहां जो चेयरमेन है सफाई समिति वाले इन्होंने इसको बहुत अच्छे से प्लान किया है। लेकिन इसका एगजिक्यूशन इसका हमको करना होगा और जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात की जाती हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले ग्रीन लाईन सर्विस योजना आई थी इसमें हुआ क्या कि होटल्स, जितने भी रेस्टोरेन्ट्स यह से जो खाद्य वेस्ट आता है जो खाने—पीने की चीजे है इसका वेस्ट मेनेरियल उसको उठाने का ठेका दिया गया। सेवापुरा के अन्दर 2 हैक्टर जमीन दी गई। हुआ ये कि उसको रेवेन्यू हमे देना चाहिए था हर साल उसको लाईसेंस के रूप में 1 लाख रूपये जो कि हर साल 15 प्रतिशत बढ़ता, उसको रेवेन्यू शेयर के रूप में 5.5 लाख रूपये हो हर साल 15 प्रतिशत बढ़ता, ये अमाउन्ट उसे कम्पनी को जो शिव शक्ति एन्टरप्राईजेज है हमे देना था लेकिन मेरेको यह सूचना मिल है कि 95 लाख का उसने हमको बिल पेमेन्ट के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। मैम इसकी जॉच कराने की आवश्यकता है 3 बार फाईल गुम हो गई और ये जो फाईल गुम होने का

प्रकरण है ना जो ये नगर निगम को नीचे तक खा गया है उसी तरह से जैसे कि पूरी आप देखिये कि जिस तरह से दीमक चाट जाती हैं वेसे चाट गया है। फाईल गुम जाती हैं मैं आप सब से निवेदन करूंगी फाईल गुम जाये और एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है मैम सबसे बड़ी बात ये है। नियमों में यह है ना कि एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर के ऐसा एक्शन ले कि एफ.आई.आर. दर्ज होनी जरूरी है अगर इस तरह आप अपने पसन्द की एपलिकेशन यूज कर लोगे, जो मेरे फैवर के कागज है वो मैं लगाकर के नई फाईल लगा दूंगी और उसके बाद पुरानी फाईल गायब और ये प्रकरण पट्टो में ले लो कही पर भी ले लो हर जगह दिख रहा है तो मैम इसके लिए बहुत स्ट्रीक्ट एक्शन लेने की जरूरत है इससे कि एक मिशाल कायम कर सके कि अगर किसी ने हरकत की फाईल खोई तो दुबारा हिम्मत नहीं हो कि गुम गई फाईल तो कैसे गुम गई इस बात कि जो रेस्पोन्सबेलेटी उसे तय कीजिए। मेरा निवेदन मैम आपसे यह है कि ये जो पेमेन्ट उल्टा हमे उससे पेमेन्ट लेना है उसने काम नहीं हुआ सेवापुरा के अन्दर आप चैक करवाईये कि जो प्रोसेसिंग यूनिट्स उसे लगानी थी उसने लगाई ही नहीं, फिर भी वो हम से 95 लाख डिमाण्ड कर रहा है जबकि हमें उससे पैसा लेना चाहिए था। इस तरह ये पेमेन्ट अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि जिससे कि फाईनेन्शन क्राईसेज के साथ में नगर निगम चल रहा है उससे भी बड़ी फाईनेन्शल क्राईसेज में हम लोग आयेंगे इसकी जॉच कराने की आवश्यकता है।

महापौर महोदया – सदस्य सचिव इसे नोट करें।

श्रीमति राखी राठौड़ – इस प्रोजेक्ट की बात है निश्चित तौर पर आज बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी मै आपसे निवेदन करूंगी की जल्दी से जल्दी इसको कराये लेकिन वो गलती ना दोहराये जो हैरिटेज नगर निगम ने की। धन्यवाद।

श्री भरत कुमार – अध्यक्षा महोदया और सभी साथी पार्षदगणों को नमस्कार। जो पहला प्रस्ताव है उसमें मेरे कुछ इसमे पोईन्ट है इसमें मै चाहूँगा कि चेयरमेन साहब इसपे मुझे क्लीयर करे, आपने कहा कि सभी वार्डो में मिनिमम 2 से 3 हुपर उपलब्ध करवाये जायेंगे लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास ये आये तो आपने इसमें बताया कि 113 तो नगर निगम के स्वामित्व के खुद के है और बाकि जो शेष 37 हुपर है वो किराये पर लिये जायेगें। तो इस हिसाब से तो 150 हुपर ही होते हैं और प्रत्येक वार्ड में कम से कम 2 हुपर की आवश्यकता है 1 घर–घर कचरा संग्रहण करे और 1 जो रोड़ स्वीपिंग का काम करते है उसे रोड स्वीपिंग का हो। तो ये किस तरह आप बता रहे है कि 3 से 4 हुपर मिलेंगे। दूसरी चीज की इन हुपरों पर जो मैन–पॉवर होगी वो कौन होगा और उनका सुपरविजन कौन करेगा। तीसरी चीज की अगर यदि कभी हडताल होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी। क्योंकि अधिकतर यह होता है कि आज हडताल हो गई 2 दिन, 3

दिन, 8 दिन लोग आते नहीं हैं कचरा व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती हैं क्या आपने इसमें अभी कोई पाईलेट प्रोजेक्ट रन किया है। इसको टेण्डर देने से पहले की यह व्यवस्था सही है या नही है इसके अलावा आपने इसमे वेक्यूम क्लीन एक मशीन बताई है ये वेक्यूम क्लीन मशीन को ऑपरेट कौन करेगा। हम चाहते है कि पार्षदों के सामने इसको दिखाया जाये इसका डेमोन्ट्रेशन हो ताकि हमे भी इसकी नोलेज हो। और वेक्यूम क्लीन मशीन किराये पर क्यों ली जा रही है क्या परचेज करने पर ये किराये से सस्ती पडेगी या नहीं पडेगी। इसके अलावा आपने क्यू.आर.कोड़. का बताया है, ये क्यू. आर. कोड़. की व्यवस्था कौन करवायेगा। हमने पेपर में भी इसमे देखा कि हमने इसमें दरे भी निर्धारित की गई है कि क्या अलग से जनता से इसका चार्ज लिया जायेगा और चार्ज लिया जायेगा तो उसको कौन मोनेट्रिंग करेगा, उसका कौन कलेक्शन करेगा इस चीज की भी हमे डिटेल में जानकारी चाहिए। इसके अलावा इसमें अकाउन्टेबल कौन होगा। सबसे बड़ी चीज की अकाउन्टेबल कौन होगा। रिपोर्टिंग से बहुत होती है लेकिन जिम्मेदारी किसी की निर्धारित नहीं होती। नीचे स्तर से उपर तक सिर्फ रिपोर्ट ही रिपोर्ट जाती हैं, डेली मोनेट्रिंग होगी या मंथली मोनेट्रिंग होगी। अगर कचरा नहीं उठता है तो उसका क्या होगा। कोई ऐप आप डिजाईन कर रहे हैं यह सारी डिटेल आप हमे प्रोवाईड करवाई जाये। धन्यवाद।

महापौर महोदया – भरत कुमार जी आपने बहुत ही सकारात्मक और बहुत आवश्यक जानकारी चाही गई है जो पूरे बोर्ड को भी पता होनी चाहिए। सदस्य सचिव जी आप इस बात का जवाब दे। ये जो व्यवस्थाए जो जानना चाह रहे है पार्षद जी उनका बताये कि कैसे कैसे करेंगे। सदस्य सचिव बताये।

तैयारी करके नहीं आये क्या?

जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं क्या? जवाब नही तो अधिकारी काहे के लिए आये यहा पे।

बिना तैयारी के बी.वी.जी. को दिया गया था।

महापौर महोदया– ये जो विषय जो जानना चाह रहे है सभी पार्षदों को पता होना चाहिए। साधारण सभा करने का उद्देश्य यह है कि इसमें जो प्रस्ताव और एजेण्डे लिए गये है उनके बारे में इस बोर्ड के सभी सदस्यगण को एक एक बिन्दु की जानकारी होनी चाहिए ताकि ये जब भी इसका क्रियान्वयन हो जब भी नगर निगम में जो व्यवस्थाएं लागू हो, लागू होते ही सभी पार्षद इसको जनता तक ले जाने में सहयोग प्रदान करें। इसलिए ये जानना आवश्यक है। बताये।

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – मुझे परमिशन है।

महापौर महोदया– बोले।

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – माननीय महापौर महोदय, माननीय उप महापौर महोदय, माननीय सभी चेयरमेन महोदय, सभी माननीय सदस्यगण, जैसा माननीय महापौर महोदय ने मुझे निर्देश दिया है मैं इस नये प्रोजेक्ट के साथ

महापौर महोदया – मनोज जी, आप जो भरत जी ने पूछी है चार बातें आप उनका जवाब दीजिए।

श्री मनोज शर्मा अधिशाषी अभियन्ता – इसमें भरत जी ने जो पूछा है इसमें रूट में तो हर वार्ड के लिए रूट मैप निर्धारित किया हुआ है और प्रत्येक रूट मैप के उपर एक हुपर और उसमें एक ड्राईवर और एक अटेन्डेन्ट काम करेगा और वो साथ में चलेगा। दूसरा मैनपॉवर, मैनपॉवर पर आपने जो बिन्दु उठाया है

प्रत्येक वार्ड में कितने हुपर होंगे।

श्री मनोज शर्मा अधिशाषी अभियन्ता – अलग अलग वार्ड के लिए जोन में जो भी वार्ड है उनके लिए रूटमैप तैयार किये है।

नहीं रूटमैप डिफ्रेन्ट पार्ट, एक वार्ड में कितने हुपर होंगें।

मनोज जी ये दोनो चीजों को मिक्स कर रहे है इनको डोर–टू–डोर और रोड़ स्वीपिंग वाला है ना उसको

एक वार्ड में कितने हुपर होगें।

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – अब ये आपको स्पष्ट कर दू स्थिति कि कि प्रत्येक जोन के लिए जोन में नहीं वार्ड में बताईये आप।

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – प्रत्येक जोन के लिए रूटमेप निर्धारित किये है अब शुरू से बता देते है। मुरलीपुरा जोन के अन्दर 52 रूपमैप है और 52 हुपर होंगे जो डोर–टू–डोर के लिए होंगे। डोर–टू–डोर जो काम होगा उसके लिए होंगे। ये कि घर–घर से जो कचरा संग्रहित करेगी उसको 52 हुपर लगाने होंगे। विद्याधर नगर जोन में 46, झोटवाड़ा में 82, मानसरोवर 62, सांगानेर 46, जगतपुरा 68, मालवीय नगर 65 इस तरह से टोटल 421 हुपर कम्पनी को जो भी आयेगा उसको लगाने होगे।इसमें आप 37 ही तो ले रहे हो किराये पे।

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – किराये पे लेने का बिन्दु नहीं है सर। ये डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण के लिए जो टेण्डर किया जा रहा है उसके लिए ये प्रावधान है। सातो जोनों के लिए अलग– अलग। हम तो 37 हुपर के लिए ही तो एप्रुवल दे रहे है प्रस्ताव में। 400 के लिए थोड़ी दे रहे हैं।

भरत जी इसमें मैं बताता हु आपको आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ये डोर–टू–डोर का बता रहे है और जो रोड़ स्वीपिंग के लिए 150 वार्ड है उनके अन्दर

डोर–टू–डोर के लिए तो बी.वी.जी. से अलग कम्पनी ही करेगी ना

तो बी.वी.जी. कन्टीन्यू करेगी क्या?

महापौर महोदया – भरत जी एक मिनिट। अभय जी आप भी बैठे। एक्सईएन(प्रोजेक्ट) आपने प्रोजेक्ट बनाया आप प्रोजेक्ट को बता नहीं पा रहे हैं। ये क्या पूछना चाह रहे है सीधे–सीधे आप जवाब दीजिए ना। आपने प्रोजेक्ट बनाया आपको प्रोजेक्ट की जानकारी नही।

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – मेरा प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ हर जोन के लिए अलग–अलग टेण्डर होगा और हर जोन के लिए जो रूटमैप निर्धारित किये गये है उनकी संख्या मैने आपको यहां पर बताई। इसमें सुपरवाईजर, जोन में जो हमारा स्टाफ है, एस. आई., सी.एस.आई. जो इसको सुपरवाईज करेंगे, एक इनडिपेन्डेन्ट इंजिनियर इसके साथ में अपोईन्ट होगा, जो डेली मोनेट्रींग वो करेंगे और प्रत्येक जोन में इसके लिए मोनिट्रिंग सिस्टम होगा जैसे ही आर.एफ.आई.डी. कार्ड स्वेप होगा, वो पूरी रिपोर्ट आपके जोन के मोनिटर के उपर आ जायेगी। तीसरा बिन्दु आपका था, यूजर चार्जेज से संबंधित, यानि चार्जेज इसमें क्या वसूल किये जायेगें। तो राज्य सरकार द्वारा जो घोषित यूजर चार्जेज है यानि रेजिडेन्सियल, कॉमर्शियल और ऐरिया के हिसाब से जो यूजर चार्जेज निर्धारित किये राज्य सरकार ने उनको वसूल करने का प्रावधान रखा हुआ है। अकाउन्टबिलिटी इसमें जोन डी.सी. और

भ्रष्टाचार होगा इसमें जोन डी.सी. अगर रहेगा तो और अभी भी हो रहा है। जोन डी.सी. अभी भी कर रहा है।

महापौर महोदया – महेश जी जवाब पूरा देने दीजिए ऐसे नहीं बीच में नहीं बोले

नहीं मैडम ये जोन डी.सी. नहीं रहेगा।

महापौर महोदया – नहीं नहीं, पहले जवाब देने दीजिए इनको बीच में नहीं बोले। बीच में नहीं बोले पहले इनको जवाब देने दीजिए। अगर जवाब से सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो आप बताईये। ये चर्चा के लिए पूरा सदन आमंत्रित है क्या दिक्कत है। जवाब दे रहे है एक्सईएन प्रोजेक्ट, अगर आप एक्सपेलेन करने में नही समर्थ है तो आप डी.सी. हैल्थ को बोले।

श्री मनोज शर्मा अधिशाषी अभियन्ता – अकाउन्टबेलेटी प्रत्येक जोन डी.सी. की रहेगी और जोन डी.सी. उसको अपने लेबल पर मोनेट्रिंग और पूरा–पूरा कम्पलीटली उसका, उनके निर्देशन में यह काम होगा। एस.आई., सी.एस.आई., इनडिपिन्डेन्ट इंजिनियर डेली रिपोर्ट करेंगे। इसलिए डेली रिपोर्टिंग का सिस्टम है और इस सातो जोनों के उपर जो काम होगा उसका सेन्ट्रलाईन एक मोनेट्रिंग हेड ऑफिस में भी रहेगा, ये इसमें मोनेट्रिंग सिस्टम रहेगा। इसके लिए ऐप एक तैयार होगा उस ऐप के उपर अभी भी वेस्टबिन ऐप हमारा अभी चल रहा है जिसपे हम कभी भी अपनी वो डाल सकते हैं इसी तरह का एक ऐप इसके साथ एड करने का प्रावधान इसमें रखा है। आपके जो बिन्दु थे उनके संबंध में मैने बताया।

श्री. भरत कुमार :– हमारा सवाल अभी भी यही है हमे रूटमैप के थ्रू नहीं, हमें यह जानना है कि एक वार्ड में कितने हुपर मिलेंगे। चेयरमेन साहब अगर 150 है तो 1 ही हुपर मिलता है तो रोड़ वाला जो कचरा इक्कटठा होता है स्वीपिंग के बाद वो भी हुपर के थ्रु ही जाता है। फिर कचरा पोईन्ट पे जायेगा, कचरा पोईन्ट से कलेक्ट होकर के सेवापुरा वो जहा भी जाता है बताये। और एक डोर–टू–डोर कलेक्शन होता है। अब डोर–टू–डोर वार्ड में होगा या आपने रूट में बताया कि वार्ड सपोज करो कि 146 से 147 में आयेगा फिर 147 से 148 में जायेगा 149 में जायेगा फिर 150 में जायेगा या तो ये प्रक्रिया है। बी.वी.जी. कन्टिन्यू करेगी या बी.वी.जी. को आप ब्लेकलिस्ट कर रहे हैं। ये चीज पूछना चाह रहे हैं।

हमारा यह कहना है कि एक वार्ड में आप कितने हुपर दोगें। एक वार्ड में कितने हुपर रहेंगे। यूजंर चार्जे कॉमशियल भी ले रहे है तो जो कॉमशियल हुपर हमे चाहिए तो शाम को सुबह में कॉमशियल हुपर भी तो चाहिए होगा आप यूजर चार्जे लेंगे तो कॉमशियल का।

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – इसमें रेजिडेंशिल और कॉमशियल के लिए अलग–अलग समय रखा हुआ है तो 8.00 से लेकर के 2.00 तक के बीच में जो हुपर है वो घर से कचरा संग्रहित करेंगे और शाम को 5.00 बजे से 9.00 के बीच में जितने भी कॉमशियल उनसे हुपर कचरे का कलेक्शन करेंगे। ये इसमे लिया हुआ है।

लिया हुआ तो ठीक है लेकिन डिवाईडेशन का आप नहीं बता पा रहे है कि आप बता रहे हो 113 एक जगह बता रहे हो 37 एक जगह बता रहे हो, हमारा सवाल यह है कि आप एक वार्ड में कितने हुपर लगाओंगे। हमारा सवाल ये है 150 हुपरो का डिवाईडेशन करोगे तो केसे करोगे।

एक्स.ई.एन. साहब इसमें इनको बताओं कि दोनों चीजे अलग–अलग है।

या तो आप इसमें तैयारी नहीं करके आये, आप फिर वहीं काम करना चाहते हो की ये रिस्ता क्या कहलाता है। वो ही बी.वी.जी. कम्पनी वाला काम करोगे या नया कोई लेकर आ रहे हो उस पे कुछ करोगे।

अजी आपकी सरकार के लगाये हुए अधिकारी है

अरे नहीं।

बात वो नहीं है कि किसकी सरकार का लगाया हुआ है जयपुर का कचरा उठेगा तो सबका ही उठेगा तुम्हारे किसी अकेले का नहीं उठेगा। बी.जे.पी., कांग्रेस सभी पार्षदों का कचरा उठेगा।

महापौर महोदया – देखिये आज ये सदन जो है जयपुर ग्रेटर नगर निगम को स्वच्छ करने के लिए और अच्छे से अच्छी बहतरीन व्यवस्था हो और उसके लिए है और ये चर्चा सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए नकारात्मक अपना इनपुट नहीं दीजिए। सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए और जो–जो सकारात्मक जानकारी दे सकते हैं।

श्री राजेश जी – सम्मानीय महापौर सहिबा मैं निवेदन करना चाहता हूॅ कि अगर यहां पार्टीबाजी करके मुद्दों से अगर भटकाना चाहते हो तो मत भटकाओं। विकास की बात करनी हैं तो हम विकास के मुद्दे पर बात करने, जयपुर शहर के विकास की बात हो रही हैं मैम हम उसमें सब साथ है।

महापौर महोदया– मनोज जी इसका जवाब देने में आप समर्थ नहीं है तो

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – नहीं मैं दे रहा हूॅ जवाब। उदाहरण के लिए आपको मुरलीपुरा जोन का मैं आपको पहला ही बता देता हूॅ, इसमें 21 वार्ड है।

महापौर महोदया – आप 1 नम्बर वार्ड का शुरू कर दो। बताईये 1 नम्बर वार्ड का।

अधिशाषी अभियन्ता श्री मनोज शर्मा – इसमें 21 वार्ड है 21 वार्डो में हमारे 52 टोटल हुपर्स रूटमैप है और हर रूटमैप के उपर एक हुपर चलेगा। अब जैसे किसी वार्ड का ऐरिया ज्यादा है जैसे झोटवाड़ा के अन्दर जहा पर आपके 22 वार्ड है, लेकिन हमारे हुपर वहा पर लगेंगे 82, उसके पीछे कारण यह है कि पूरा ऐरिया स्केटल्ड है। इसलिए उसमें ज्यादा हुपर्स डिप्लोयर्ड करने होंगे।

सर आप किस पद पर है यहां ?

एक्स. ई. एन.।

आपने मैडम किनको जवाब देने के लिए कहां था अगर आपके अधिकारी इसपर लाईबल नहीं है,

महापौर महोदया – सदस्य सचिव आप माननीय सदस्यो को जिस बात का पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह नूनीवाल :– आदरणीय मेयर साहब ये जो जानकारी आपने उपलब्ध करवाई है अधिकारियों ने ये इस तरह का इन्होंने एक धारणा बना ली कि कागज के उपर लिखकर के दे दो और यहां के जो पार्षद है वो इसका अनुमोदन कर देंगे। निश्चित रूप से यह कार्ययोजना जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए बनाई गई हैं, निश्चित रूप से यह कार्य योजना सफल भी होगी। लेकिन उस कार्य योजना में आपने क्या–क्या तैयार की है किस–किस तरह से आपने तैयारी की है, उसकी विस्तृत डिटेल आप यहां पर उपलब्ध कराते तो अच्छा रहता। इस तरह की भय की सम्भावना नहीं रहती। मैं आदरणीय चेयर से निवेदन करता हूॅ कि इस प्रस्ताव को पारित करने से पूर्व इसके संबंध में जितनी इन्होंने कार्य योजना बनाई है, ये इनकी मनमानी नहीं चलेगी। बोर्ड तय करेगा कि क्या कार्ययोजना होगी। अधिकारी तय करके बोर्ड पे नहीं थोपेंगे। बोर्ड तय करेगा कि आप यहां विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए कि आपने किस तरह से कार्ययोजना बनाई है। उसके बाद में डिटेल हम सब सदस्य उसके उपर सहमत होंगे। हम निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है कि जयपुर शहर स्वच्छ बने लेकिन इस तरह से अधिकारियों की मनमानिया बिल्कुल नहीं

चलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पूरी कार्ययोजना का विस्तृत विवेचन इस सदन के पटल पर रखे। धन्यवाद।

महापौर महोदया – आज इसका ये जो सवाल है माननीय सदस्यों के सवाल है का जवाब इसलिए दे रहे है पारदर्शिता बनी रहे। कई बार ऐसा होता है हमारे सदस्य जो है चक्कर निकालते रहते है और उनको जवाब नहीं मिलता है। अभी इस सदन में उनको पूरा संतुष्ट करना होगा, पूर्ण पारदर्शिता ग्रेटर नगर निगम को चलना चाहिए। दीजिए जवाब।

मैम एक विचार में और रखना चाहूँगा जैसे कि माननीय चेयरमेन साहब ने बताया कि हर वार्ड में कम से कम 3 से 4 हुपर रहेंगे

महापौर महोदया – अक्षत जी इसपे जवाब जो है

इसपर क्लीयरफिकेशन दे दे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने बताया कि जैसे झोटवाड़ा में 22 वार्ड है, अगर 3 का हिसाब लगाउ तो 66 हुपर होते है।

महापौर – अक्षत जी एक बार इसका जवाब देने दीजिए। एक्स.ई.एन. प्रोजेक्ट है जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है वो जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोज शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता – दे रहा हूँ।

महापौर महोदया – डी.सी. हैल्थ आप भी हैल्प करे इनकी।

आयुक्त महोदय – मैं सदन से एक निवेदन आपसे अनुमति चाह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्लीयर करना चाहता हूँ।

ऐसे तो 5.00 बजे जायेगे और अधिकारी निकल जायेंगे।

महापौर महोदया – नहीं, नहीं देखों सभी का जवाब आना चाहिए। सही और सन्तुष्टीपूर्ण जवाब होना चाहिए। सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें, सीधा–सीधा जवाब दीजिए।

आयुक्त महोदय – मैं आप सब लोगों को, चूंकि प्रश्न यह हो रहा है कि क्या व्यवस्था की गई हैं, मैं आपको 3 – 4 बेसिक चीजे आपको बताता हूँ। नम्बर 1 आप सबको

सर पहले आप आसन का सम्मान तो करिये आप खडे हुए हो एड्रेस करने के लिए।

आयुक्त महोदय – मैने पहले पूछा है उनसे,

पहले आप आसन का सम्मान तो करिये।

ये है हमारे निगम के अधिकारी। ये इनकी मनमानी।

महापौर महोदया – बैठिये आप ये गलत बात, गलत बात। हम शान्तिपूर्ण सदन चलाना चाहते हैं ऐसे नहीं।

श्री लक्ष्मण सिंह नूनीवाल :– अब आसन का सम्मान करने की बात हुई तो बैठ गये

महापौर महोदया– ऐसे नहीं, हमारा आज उद्देश्य है सकारात्मक, ये बोर्ड सकारात्मक तरीके से चलाईये। सब बैठिये, अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो बताईये, सदन को शान्तिपूर्ण तरीके से चलाईये। अगर आप चाहते है कि 2 दिन 3 दिन चले शान्तिपूर्ण तरीके से अगर आपको जवाब सही मिल रहा है तो हमारा आज का जो व्यवहार है वो ये होना चाहिए कि इसमें जो प्रस्ताव आया हुआ है उसमें विस्तृत चर्चा की गई, चर्चा के बाद प्रस्ताव पास होना चाहिए। ताकि पारदर्शितापूर्ण हम जनता को हम ये सारी सर्विसेज डिलिवर कर सके। इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर इस तरह से करेंगे तो सदन से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है दीजिए जवाब अब।

सम्मानीय महापौर आपकी अनुमति से इन्ट्रेट करना चाहता हूँ।

महापौर महोदया – जी बोलिए।

श्री पुनीत कर्णावट (उपमहापौर) :– इस बी.वी.जी. के बारे में पहली साधारण सभा हमने सर्व–सम्मति से प्रस्ताव लिया और प्रस्ताव लेने के बाद तुरन्त उसके उपर काम शुरू कर दिया था, उसका टरमिनेशन का लेटर तैयार हो गया था। मेयर साहब के नेतृत्व में उसकी रवानगी तय हो गई थी। लेकिन वो कोर्ट चला गया। हमारे यहा से केवियेट लगने में देर हुई। उसके बारे में हमने और मेयर साहब ने दोनों ने नोटशीट लिखी थी। आज वो सारे व्यवधान समाप्त हो गये है और हम एक अच्छी हो पारदर्शी और भ्रष्टाचार जिसमें कम से कम होने की सम्भावना हो ऐसी एक व्यवस्था लेकर आना चाहते हैं और मैं उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूँ। आदरणीय शील धाबाई जी यहा बैठी हैं, वो उस वक्त कार्यवाहक मेयर थी। मेयर साहब को भी उसकी जानकारी है। तीनों समिति के चेयरमेन्स ने उस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया है, आपकी जितनी भी क्वारीज है आप उसको पूछे जैसा मेयर साहब ने कहा है। आपको हर क्वारी का जवाब मिलेगा। लेकिन जवाब सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पडेगा। आपको भी और हमारे सब साथियों को भी। आपको मेरा यह कहना है कि ये साधारण सभा यहा के सम्मानित सदस्यों की सभा है। इसके अन्दर जो प्रस्ताव आया है उसको अभय पुरोहित जी ने रखा है। हमारी जितनी भी क्यूरीज हो, मेयर साहब मेरा यह कहना है कि ये ई.सी. की कमेटी में तो बातचीत हो सकती है अधिकारियों से अधिकारी इतने बडे नहीं है कि हम उनकी बातों से सन्तुष्ट होंगे। हमारे लिए कोई जवाबदेय हो तो वो समिति के चेयरमेन जवाब दे, ये मंत्री है उसके। इन्होंने यह प्रस्ताव रखा, इनसे जितना भी क्लीयरिफिकेशन चाहे वो क्लीयरिफिकेशन करवाना चाहिए, अधिकारियों से हम ई.सी. के अन्दर बात करेंगे। हुआ हमेशा यह है कि हम जो जनप्रतिनिधि है

ई.सी. में पार्षद नहीं होते है।

महापौर महोदया– नहीं बैठिये, डिप्टी मेयर साहब को बोलने दीजिए।

श्री पुनीत कर्णावट (उपमहापौर) :– आज हम सोल्यूशन लेकर जायेंगे या ज्ञान लेकर जायेंगे। मैं ज्ञान दे भी नहीं रहा हूँ, मेरे पर ज्ञान बहुत सीमित है, जो सीमित है उसे मैं बहुत मितव्यता से खर्च करता है। आप चिन्ता मत करो मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ और ज्ञान देने के लिए आया भी नहीं हूँ यहा। जितने भी आपकी क्वारीज है उसको आप चेयरमेन से पूछिये, वो जवाब देंगे और अधिकारियों से जितनी भी चीज के बारे में बात करनी है उसका प्रस्ताव आयेगा उस प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए। एक बहुत जरूरी चीज पर चर्चा कर रहा हूँ जिसका जयपुर शहर को बहुत लम्बे समय से इन्तजार है। मेरा इतना ही आग्रह है मैम कि आप इसको ऑर्डर में ले, आपको जितने भी सवाल करने है वो जवाब आप अभय जी से ले। रामकिशोर जी प्रजापत बैठे हुए है उनसे करें।

श्री रामकिशोर प्रजापत :– भाईसाहब मैं तो किसी मिटिंग में था ही नहीं मैं क्या बताउंगा। मुझे किसी मिटिंग में बुलाया ही नहीं गया। दो ही चेयरमेनों को बुलाया B और C को ही बुलाया गया है मिटिंग में

इनको क्यों नहीं बुलाया गया यह भी जवाब दे।

महापौर महोदया – अरे प्लीज, सदन को चलाने का आपको पता है साधारण सभा होती है सबका एक पद होता है इसका जवाब देने के लिए अधिकारी सदस्य सचिव होते है आपको जवाब सदस्य सचिव देंगे। वो आगे जिससे दिलवाना चाहे वो आगे एक व्यवस्था होती है। इस पर आप आगे बताये सदस्य सचिव आप जवाब दे रहे थे। आप शान्ति रखीये आप बीच में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे। एक व्यवस्था होती है सदन में आपको पता है। ऐसे नहीं सदन की गरीमा होती है कौन जवाब देने के लिए अधिकृत है अगर जवाब देने के लिए अधिकृत जो है वो ही देगा, बीच में ऐसे नहीं चलेगा।

आयुक्त – माननीय महापौर महोदय, मैं आपसे यह क्वेरी कर रहा हूँ कि जो पुनीत जी ने व्यवस्था दी है उसके तहत सफाई समिति के चेयरमेनों को जवाब देना है या अगर प्रशासन की तरफ से मुझे आप फरमा दे मैं देने के लिए तैयार हूँ।

महापौर महोदया – बात ये सदस्यों ने पूछा है और जो ये पूछना चाहते है उसका जवाब क्योंकि प्रोजेक्ट बना है आपने पूरा जो इम्पलिमेन्ट होना चाहिए वो आपने देखा है। एक्स.ई.एन. प्रोजेक्ट बताने में असमर्थ है, डी.सी. हैल्थ नहीं बता पा रहे हैं तो इसको आप एक बार इन सदस्यों का जवाब दे दीजिए।

आयुक्त – बिल्कुल, देखिये मैं आप लोगों को स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, 7 जोनों में वार्डो की संख्या निर्धारित है। जो नवीन प्रस्ताव बनाया गया है उसमें प्रत्येक वार्ड में हाउस होल्ड की संख्या भी निर्धारित है। प्रत्येक घर की संख्या जैसे मानलीजिए मुरलीपुरा जोन तो लगभग उसमें जो वार्ड

है उसमें 42000 के लगभग हाउस होल्ड आ रहे हैं और 42000 के लगभग जब हाउस होल्ड आ रहे है उसके रूटमैप के हिसाब से अपने को कितने हुपर्स की आवश्यकता होगी ये इसमे निर्धारित किया गया है। ये 2 भी हो सकती है हाउस होल्ड के हिसाब से 3 भी हो सकती है, जहां संख्या ज्यादा है वहां 4 भी हो सकती हैं। तो टोटल नम्बर ऑफ मकान आपको बताये गये सातों जोनों में वो 471 हुपर पर लग रहे है जो वर्तमान के बी.वी.जी. के है उसकी संख्या से लगभग 100 के लगभग अधिक है, पहली बात। दूसरी बात हर एक घर के बाहर टेण्डर किया जा रहा है हर एक घर के बार जैसा आपका सिमकार्ड आपका जो स्वेपिंग कार्ड होता है जिससे बैंक में आप ट्रांजेक्शन करते हैं आपके हर एक हाउस होल्ड के बाहर एक स्वेपिंग कार्ड लगेगा, उसको डेली उसको स्वेप करना पडेगा। अगर वो स्वेप नहीं करेगा वो स्वेपिंग कार्ड भी आगे सर्किल सिस्टम से जुडा हुआ है। ये मानलीजिए की वो मेरे घर पर आया और उसने कार्ड स्वेप नहीं किया तो उसका पेमेन्ट उसको नहीं मिलेगा। तो व्यवस्था यह की गई है कि हर एक हाउस होल्ड तक वो आये डेली बेसिस पर और उसका पेमेन्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने टोटल मकानों को कितनों को कचरा संग्रहण के लिए कार्ड स्वेप किया है। दूसरी बात और भी बताना चाहता हूँ कि इसमें एडवांस सिस्टम यह है कि जब वो कार्ड स्वेपिंग के लिए आयेगा तो जो भी हाउस होल्ड का नम्बर मकान मालिक देगा, उस पर उसका मैसेज जायेगा। तो आपको में इसमे 3 स्टेजिज है बिल्कुल क्लीयर करता हूँ। पहला है डोर–टू–डोर, तो वो तो होगा कार्ड स्वेपिंग के आधार पर हाउस होल्ड के आधार पर जिसका रूट भी तय है मकानों की संख्या भी तय है और डेली मोनेट्रींग पे उसने कितने घरो को सम्पर्क किया है यह भी तय है, तो यह हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो आपने कहा कि अपने हुपर्स और जो 37 लेने की बात हो रही थी, ये वो आ रहा है सैकेण्ड्री। देखिये 2 तरीके से काम होता है जब हम झाडू लगाकर ढेरी बनाते हैं और ढेरी बनाते है या कहीं पर भी कचरा इक्कटठा होकर डिपो इक्कटठा हो जाता है वहां पर ये दो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उसके लिए प्रत्येक वार्ड में 1 हुपर आप सब पार्षदों को या जो भी वहां सी.एस.आई., एस.आर. उसको उन ढेरी को उठाने के लिए सक्शन मशीन और हुपर दिये जायेगें, ये सैकेण्ड्री टेण्डर है। थर्ड टेण्डर है कि जब ये सारा कचरा सैकेण्ड्री स्टेशन पर हमारे जो 14 सैकेण्ड्री स्टेशन है पर इक्कटठा हो जायेगा तो वहा से मथुरादासपुरा या सेवापुरा अपने को जो भी कचरा भेजना है तीसरा टेण्डर वो है। तीनों टेण्डर के लिए सारी ब्रीफिंग की गई हैं। 5–6 बार बैठक हुई है। सभी से डिस्कशन हुआ है, जितने सुझाव थे वो आमंत्रित किये गये है और आप सभी के सामने इसको ओपन इस लिए छोडा गया है आप यदि इसमें और कोई चीज इनकोर्परेट करना चाहे, जो भी ये सदन के ध्यान में लायेगा उनको भी उसमें इनकोरपरेट कर लिया जायेगा। एक और इम्पोर्टेन्ट बात में आपको बताना चाहता हूँ कोशिश यह है कि आपके

पास भी जनसामान्य की शिकायते नहीं आये और आप भी सिस्टम से लगातार शिकायत नहीं करें। इसकी मोनेट्रींग के लिए उसने कितने हाउस होल्ड को टच करना है और उसने टच किया है नहीं किया है इसके लिए इनडिपेन्डेन्ट इंजिनियर की व्यवस्था भी हमने करी है जिससे कि उसंके डेली रूटमैप को और उसके कितने मकानों को टच किया है उसकी मोनेट्रींग करेगा। इस प्रस्ताव को हम अभी भी ओपन है कि आप भी और कोई सजेशन देंगे, हम उसको इनकोरपरेट कर लेंगे। अभय जी बैठे है, आप पुनीत जी बैठे है चेयरमेन बैठे है सब जने बैठे है। हमारा उसको आपके सामने पेश करने का आशय यह है कि जो भी सजेशन्स आप आज देंगे हम उसको इनकोरपरेट करेंगे। हमारा प्रयास यह है कि किसी को भी शिकायत ये नहीं रहे कि उसके यहा सफाई नहीं हुई और भी अगर आप क्वेरी करेंगे तो वी–विल रिप्लाई। थैक्यू सर।

श्री लक्ष्मण सिंह नूनीवाल :– मैंम, जिस तरह से अभी इस प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी दी गई, इस तरह से अगर यह पहले लाया जाता तो सदन का कीमती समय बरबाद नहीं होता। इस संबंध में कुछ क्वेशन्स है कि जैसा आपने अभी बताया कि 3 स्टेज में कचरे का निस्तारण होगा। तो सर एक तो ये बताईये कि मिट्‌टी और मलबे का जो कार्य गैराज शाखा द्वारा किया जाता है गैराज के द्वारा किया जाता है तो क्या वो गैराज के द्वारा ही किया जायेगा? या इन संवेदकों के द्वारा किया जायेगा। सी. एण्ड डी. वेस्ट जो होता है उसका डिफेन्शन कैसे करेंगे और तीसरी बात, जैसा कि आपने आर.एफ.टेग की बात करी कि आर.एफ. टेग प्रत्येक हाउस पर लगाया जायेगा और हाउस होल्ड को आप स्वाईप कर–करके और फिर वेयरिफाई करेंगे कि कचरा उठा की नहीं उठा। जिस कॉलोनी से हम लोग आते हैं, हमारी कॉलोनी की जो गलियां है वो बहुत छोटी–छोटी है। बी.वी.जी. की कम्पनियों की जो गाडी का हमने देखा है कि अन्दर हुपर नहीं जाते हैं, कॉलोनी का जो नुक्कड होता है उस पर खडे होकर हमारे कॉलोनीवासी आते है एक–एक कर के अपना कचरा उस कचरे की गाड़ी में डालते हैं। हाउस होल्ड पे आप जो टेग लगा रहे हो क्या वो गाडियां अन्दर तक जाकर के हमारी छोटी–छोटी गलियों के अन्दर तक जाकर कचरे का संग्रहण करेंगी। कृपया इस बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराये। किस तरह से आप छोटी गलियों में कचरे का संग्रहण करेंगे, इसके बारे में भी स्थिति अवगत कराये। धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द शर्मा – माननीय महोदय, मेरे कुछ सवाल विपरीत दिशा की ओर थे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैने सुना है कि बी.वी.जी कम्पनी का जब एग्रिमेन्ट हुआ तो उसने अपनी कम्पनी को दूसरे व्यक्ति को सबलेट कर दिया, क्यों कर दिया? प्रस्ताव संख्या 1 में ऐसा कोई खुलासा नहीं है इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी जो ऐजेन्सी है जिसको टेण्डर छोडा गया है, क्या सबलेट नहीं करेगा? आपने इसका खुलासा करना चाहिए था कि जिस एग्रिमेन्ट को हम करेंगे, उस एग्रिमेन्ट के ये नोम्स है उस नोम्स को भी हमारे बीच में रखा जाना चाहिए था। ये

रखा जाना चाहिए था कि जिस बी.वी.जी. कम्पनी से पूरा जयपुर शहर परेशान हो रहा है, आने वाली जो समय है उसमें उनका टाईम खराब नहीं हो, उनका कचरा उठे, जिस ऐजेन्सी को हम टेण्डर दे रहे हैं वो ऐजेन्सी उस दिशा की ओर काम करे। उस बात को भी आपको हमारे पटल पर रखना चाहिए था। प्रस्ताव संख्या 1 से में बिल्कुल कतेई सहमत नहीं हूँ। सीईओ साहब ने जवाब दे दिया लेकिन मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ कि आज आप एक बात बता दीजिए कि जब आपकी गाड़ी बी.वी.जी. कम्पनी की वर्तमान में तो बी.वी.जी. काम करती हैं। आपकी बी.वी.जी. कम्पनी की गाड़ी कभी 6.00 बजे आ जाती है कभी 5.00 बजे आती है कभी 7.00 बजे आती है क्योंकि आपकी उसपर कोई मोनेट्रिंग हो नहीं रही है। वो 2.00 बजे 1.30 बजे फ्री हो जाती है, कई कॉलोनियों का कचरा नहीं उठता, उसके बाद में वो कॉमर्शियल काम करती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी करती है वहां से पैसा कमाती है। आज भी उसपर कोई मोनेट्रिंग नहीं हो रही, यदि हो रही है तो सदन में बता दे। जिन हुपरो का आपने किराये पर लगाया, मेरे पास 20 हुपर थे मैने बी.वी.जी. कम्पनी को 20 हुपर लगा दिये, 20 हुपर लगाने के बाद में मेरे को तो कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो मैं तो उस दुकान वाले का कचरा उठाना और 200–500 रूपये मैने बांध लिया तो मेरेको तो वो टारगेट करना है, मुझे आम जनता की सफाई नहीं करनी, उनका कचरा नहीं उठाना, इसलिए मैं इस बात से भी पीड़ित हूँ। सीईओ साहब कह रहे हैं हम 15 महिने से पीढ़ित है। 15 महिने से आपके दरबार में हमने हजारों चक्कर लगाये, लेकिन एक बार न तो आप़ने सुनी ना सीईओ साहब ने सुनी। क्यों नही सुनी हम इस निगम के जनप्रतिनिधि है। आपको सुनना चाहिए था लेकिन आपने नहीं सुना, हमने बार–बार ये कहा कि हमारी स्थिति ये है, हमारी वैकल्पिक व्यवस्था की जाये, लेकिन आपने कतेई नहीं सुना। आज इस पटल पर जो प्रस्ताव आपने रखा, क्या हम ऐसे ही पास कर दे उसको? क्यों कर दे, बी.वी.जी. कम्पनी को आपने क्या बिल्कुल हटा दिया। क्या बी.वी.जी. कम्पनी को आपने पेमेन्ट कर दिया? बी.वी.जी. कम्पनी हडताल कर रही है मेरा यह सवाल था कि जो एग्रिमेन्ट आप करोगे, मानलो किसी भी ऐजेन्सी का आपने एग्रिमेन्ट किया और पहले वर्ष में फैल हो जाती हैं तो क्या आप उसे ब्लेकलिस्टिड़ करोगे? ऐसा आपने पटल पर नहीं रखा इस प्रस्ताव में। आपको यह भी पता है कि जिस प्रकार बी.वी.जी. कम्पनी जिस समय टेण्डर हुआ, टेण्डर होने के बाद में उस समय मेरी जानकारी में है मेरे पास एग्रिमेन्ट तो नहीं है लेकिन जहा तक मेरी जानकारी मे हैं 1800–1900 रूपये में कुछ ऐसा एग्रिमेन्ट हुआ था, उसके बाद वो 1200 में चला गया, 900 में चला गया। आज जिस ऐजेन्सी के अगर मानलो कोई ठेका छूटता है, जोनवाईज ठेका छूटता है और वो एक वर्ष में यदि फैल हो जाती हैं तो क्या उसे ब्लैकलिस्टिड कर दोगे। ब्लेकलिस्टिड कर दोगे तो कितने दिनों में आप वैकल्पिक व्यवस्था कर दोगे, जयपुर शहर इस समय यह सदन चल रहा है इसको जयपुर शहर

देख रहा है, मीडिया इसको ऑनलाईन कर रखा है, जवाब आपको देना है, जवाब मुझे नहीं देना है, जवाब आपको देना है।

महापौर महोदया – इसको नोट करे, और भविष्य में इस तरह की पुनरावर्ती नहीं हो, और पूर्ण पारदर्शिता का ध्यान रखा जाये, और इससे संबंधित जो माननीय सदस्यों ने सूचनाएं मांगी है, वो सभी सदस्यों को इसी साधारण सभा में दी जाये। सबको उपलब्ध करवाई जाये ताकि सभी पढ़े।

श्री सुभाष चन्द शर्मा :– इसके बाद जिस एग्रिमेन्ट को आपने किया गया और वो जो एग्रिमेन्ट है उस एग्रिमेन्ट के किसी भी शब्द के कारण या जिस ऐजेन्सी को छोड़ा गया, वो मानलो फैल हो जाती है और वहा हडताल हो जाती है, तो हडताल की वहा क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में भी कोई नहीं है। मैने देखा है जब मेरे ऑफिस में एक एस.आई. आता है, पर्चियां लेकर आता है उसमें बी.वी.जी. कम्पनी ने यहां कचरा उठाया, यहा किया, वो किया, हम देखते रहते है उसको एक मुखदर्शक बनकर। मैने एक दिन उससे पूछ लिया कि भई ये किस चीज की पर्चियां है, कि साहब हमे बी.वी.जी. कम्पनी की रिपोर्ट भेजनी है। लेकिन में ढेड साल से पार्षद हूँ यहां आपने मुझे तो नहीं बताया कि आप बी.वी.जी. कम्पनी की मोनट्रिंग भी करते हैं। तो क्या एस.आई. के थ्रू जो मोनेट्रिंग आज से एक साल से चल रही है 15 महिने हो गये मै इस सदन में पार्षद बने हुए। 15 महिने से मुझे यह पता नही चल रहा कि बी.वी.जी. कम्पनी की हमारा एक एस.आई. भी मोनेट्रिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है। और यदि वो कर रहा है तो उस बात को उस पार्षद के सामने क्यों नही रखा? सदन में 150 पार्षद बैठे है। प्रत्येक पार्षद को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा संग्रहण किसी स्थिति में हो रहा है।

महापौर महोदया – इसको नोट करे। इसको भी ध्यान में रखे कि भविष्य में वार्ड में किसी भी प्रकार का कार्य हो रहा है बिना पार्षद के संज्ञान के नहीं होगा। पार्षद को बताया जायेगा पहले।
अभी आयुक्त साहब जो भी थे, उन्होंने बताया कि हमने साहब एक रूटमैप तैयार किया, हमारा वार्ड है, हम वहां के जनप्रतिनिधि है, हमें खुद को ही पता नहीं कि हमारे वार्ड में कितने मकान है। कैसे आपने रूटमैप तय कर लिया, कैसे रस्ते नाप लिए आपने, हमारे गॉव, ढाणियों के कैसे रास्ते नाप लिये आपने, कैसे उसको तैयार कर लिया। आज की स्थिति यह है खो–नागोरिया में 6 वार्ड है। उसमें 8 हुपर चलते है। एक दिन छोडकर, एक दिन पर आता है साहब, ये वास्तविक स्थिति बता रहे हैं आपको। कई बार हमे ट्रोली से कचरा उठाना पड़ता है। आपने रूटमैन तय कर लिया। अगर आपने रूटमैप तय कर लिया तो एक बार उसकी प्रतिलिपि तो पार्षद को दिया जाना चाहिए था कि वार्ड नं. 1 से 21 का यह रूटमैप है। यदि कही छूट भी गया हो तो हम इसमें एड कर लेंगे। आपने क्यों नहीं करवाया? आपको बताना चाहिए था यहां कोरम बैठी हैं पूरी।

महापौर महोदया – बिल्कुल आपको उपलब्ध करवाया जायेगा सुभाषजी।

दूसरी बात साहब, जहां 5 – 6 फिट की गलियां है वहां हुपर नहीं पहुंचता। उसकी आपने क्या व्यवस्था करी।

महापौर महोदया – पुनरावर्ती नहीं करें, यह बात लक्ष्मणी नूनीवाल जी ने बोल दी। सकड़ी गलियों के लिए क्या व्यवस्था है? ई–रिक्शों की व्यवस्था है।

मेरा एक समिशन है कि हमें जयपुर के सर्वागीर्ण विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। हम पूरा सदन एक है। हम आपके साथ खडे है। लेकिन हम उन प्रस्तावों पर चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि आने वाले समय में इन 150 पार्षदों को किसी भी प्रकार की पीढ़ा नहीं हो और हमें किसी के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े। हमारी स्थिति यह है कि जैसे हम चपड़ासी की नौकरी करते है, वैसी स्थिति है हमारी। जब हम दरवाजे पे खड़े रहते हैं। हम जनप्रतिनिधि है 10 हजार वोटरों ने हमको चुन कर भेजा है, क्यू भेजा है यदि हमारी गरिमा ऐसी ही रहती तो हम दे देते है इस्तीफा क्या जरूरत है इस नगर निगम को चलाने के लिए। आपका प्रत्येक कर्मचारी हमारे मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाये ऐसी व्यवस्था की जाये।

महापौर महोदया – नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है जनप्रतिनिधियों को सम्मान होता रहा है और होता रहेगा।

भूमिका तय की जाये, मैम इस चीज में हम दुखी है मैम।

महापौर महोदया – ताराजी, ताराजी अब इधर से आपकी बारी आयेगी।

मैं, ज्यादा टाईम नहीं लूंगी। एस.आई., सी.एस.आई. को इतने पावर देते है हम पार्षदों को कोई पावर नहीं है, फिर हमारी भूमिका जीरों होती हैं।

महापौर महोदया – पहले ओमजी बोले, उसके बाद आप बोल लीजिए। ओमजी।

श्री ओम प्रकाश स्वामी– महापौर महोदया, आपकी आज्ञा के बाद, प्रस्ताव संख्या 1 इसको मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जैसे अभय जी ने बताया। और यदि जैसे स्वीपिंग वाला है और अन्य जो बाते बताई वो यदि धरातल पर उतरती है तो इससे अच्छी योजना मैं समझता हूँ नहीं है। फिर भी मैं इनके लिए कुछ सुझाव देना चाहूँगा। एक तो जैसे वार्डवाईज कर रहे हैं, वार्ड स्तर पर कर रहे हैं, जोन स्तर पर कर रहे है तो किसी में 26 वार्ड है, किसी में 40, किसी में 35, किसी में 14। इसको ऐसे नहीं करके पुरानी जो पहले व्यवस्था हुई हैं उसमें छोटे–छोटे टुकड़ो में बाटकर 5–5, 6–6 वार्डो को जुडकरके उनको ठेका दिया जाये ताकि वो व्यक्ति उसको अच्छे ढंग से काम कर सकेगा। एक जो इसके अन्दर दूसरा बताया आपने कार्यकाल। कार्यकाल को 3+1+1 कर रखा है यानि 5 वर्ष तक हम इनको दे सकते हैं। 5 के बजाये पहले भी जब है देते थे बी.वी.जी. से पहले तो 1–1 वर्ष का इनको ठेका देते थे, ताकि उसका काम सही रहता तो फिर उसको परिवर्तन कर देते। तो इसी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें आगे यह बता रखा है कि निगम के स्वामित्व

के आधार पर रख–रखाव का जो 113 हुपर दे रखे है इसमें 26 हजार और दूसरा जो 37 दे रखें है 38 हजार का इसमें डिफ्न्स कम से कम 12 हजार का है। ओ एण्ड एम के अन्दर आप कर रहे हो, यानि शहरी क्षेत्र के अन्दर तो इसमें यह अन्तर इतना ज्यादा है इसको कम कर सकते हो। तीसरा आपने ये बताया कि कचरा संग्रहण का 3 पार्टियों को जोड़ दिया, पहली कचरा संग्रहण करेगी, दूसरा एक पोईन्ट बनेगा, तीसरा वहां से आगे डम्पिंग स्टेशन पर जायेगा। तो पहला कचरा संग्रहण की बात हो रही है घर–घर से है। मालवीय नगर के अन्दर हो या कच्ची बस्ती के अन्दर जो बी.वी.जी. वाले ने जो पहले कहा था हम रिक्शा लगायें, कचरा संग्रहण करेंगे, लेकिन वो कोई व्यवस्था नहीं थी। उसी आधार पे यही व्यवस्था किसी को आप दे रहे है तो इसमें सुधार करें। ई–रिक्शा वाला अन्दर गलियों में जाये और एक जगह–जगह पर जहां डिपों बना रखे हैं, उन डिपों पे बी.वी.जी. वाले ने आज तक तो ना कभी सही ढंग से कचरा नहीं उठाया और कचरा उठाया तो डम्फर से उठाया, डम्फर से उठाया तो झाडू नहीं लगी, झाडू नहीं लगी तो उस पर एक पत्ती लगती है सफाई होती है साहब, वो नहीं हुआ। तो ये चीजे इसके अन्दर आगे जोड़े, ताकि हमारी जो कचरे की व्यवस्था है वो सही ढंग से चले और अलग–अलग गलियों के अन्दर उडता हुआ नहीं जाये। यही मेरा निवेदन है। एक इसके अन्दर इस थड़ पोईन्ट से डम्पिंग स्टेशन पर कचरा जाता है, पहले तो ये व्यवस्था थी कि एक तो जैसे मलबा जाता है तो उस मलबे को तोलते थे, गाडियां जाती है तो गाडियों को गिनते थे। मेरा निवेदन यह है कि गाडियों को गिने नहीं और एक उसका वजन वाला भी नहीं हो। जिस व्यक्ति को दे कि पूरा तेरा काम है कि तू लेकर जायेगा, तोलने वाला गाडी की संख्या करेगा। डम्पिंग स्टेशन पर पहले भी भ्रष्टाचार था और अभी भी भ्रष्टाचार होगा। मेरा निवेदन यही है कि इसको आप गाडियों की संख्या और वजन नहीं देकर के एक व्यक्ति को कहे कि पूरा काम तेरा है तू काम करेंगा। धन्यवाद।

श्री छोटू मीणा – सम्मानीय मेयर साहब एवं मेरे साथी पार्षदगण। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो जोनवाईज लेकर आये है प्रोजेक्ट, ये बहुत ही सराहनीय है। मगर मेरा इसमें एक सुझाव है। जैसे हमारे वार्ड 119 और 120 जो ग्रामीण टाईप में दूर–दूर है जैसे सपोज के तौर पर जगतपुरा के बाद में कैमरो की ढ़ाणी इतनी दूर आती है तो उसके हिसाब से उसको यह तय किया जाये कि जैसे कम घर हो, 4 घर हो, 5 घर हो ढ़ाणियों के वहां तक यह हुपर जाने चाहिए और जैसे इन्द्रा गॉधी नगर में मेरे अपार्डमेन्ट ज्यादा है जैसे 10–10 मंजिल का अपार्डमेन्ट ये है तो उनके कचरा संग्रहण की भी उचित व्यवस्था की जाये। की उनके कचरे का निस्तारण कैसे किया जायेगा। क्योंकि गाड़ी खडी रहेगी जब तक वो उपर की मंजिल से नीचे कोई व्यक्ति उतर कर आयेगा, तो गाड़ी निकल जाती है और उनका कचरा वहा के वहा रहे जाता है और वो रोड़ पे ही कचरा डाल देते हैं। अभी की स्थिति ये है कि पूरे जो भी अपार्डमेन्ट बने हुए है उनके पास की

रोड़े कचरे से सटी पड़ी है। और जिसपे बी.वी.जी. कोई ध्यान नहीं देती हैं। और अन्त में हम कोई–कोई जे.सी.बी. मंगवाकर उसको हफ्ते में या 15 दिन में निगम की जे.सी.बी. से उसकी सफाई की जाती हैं । इस वजह से इसमें आगे जो भी कम्पनियां आये उनमें ये पाबन्द किया जाये, की अपार्डमेन्टों का कचरा भी सही ढ़ंग से निस्तारित किया जाये।

श्री रमेश चन्द सैनी – अध्यक्ष महोदय, महापौर साहब, सभी पार्षद बन्धुओ, ये प्रस्ताव जो आया है, सफाई से संबंधित प्रस्ताव है, प्रस्ताव बढ़ीया हैं। लेकिन जो ये प्रस्ताव है वो केनाड़ा बेस का प्रस्ताव है। केनाड़ बेस पे प्रस्ताव है इस प्रस्ताव को धरातल पे उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप कैसे इसको उतार दोगे।

महापौर महोदया – इसीलिए विस्तृत चर्चा भी हो रही है साथ में।

के आपने इसको केनाड़ा बेस पे आपने प्रोजेक्ट तो बना दिया लेकिन अपने धरातल पे जायेंगे एक नया टेक्स इसमें लगायेंगे अपन। जो जनता में बड़ा सभी में विरोध होगा इसका। कि कॉमर्शियल से यह चार्ज लिया जायेगा, पर मकान से ये चर्चा लिया जायेगा। चार्ज लेना चाहिए लेकिन इसका कौन कलेक्शन करेगा। वो एक भ्रष्टाचार उसके अन्दर आयेगा या तो बिजली के बिल के अन्दर लगाया जाये या पानी के बिल के अन्दर वसूल किया जाये। क्योंकि ये प्राईवेट बेस में 2004 या 2005 में नगर निगम द्वारा लागू किया गया था हमने और हर वार्ड के अन्दर प्राईवेट बेस के 20 रूपये तो पर मकान से लेने का था और 15 रूपये नगर निगम दे रही थी जो काम भी किया 6 महिने, 8 महिने चला। लेकिन न तो निगम ने उसका पेमेन्ट किया और न मकान वालो ने पर मकान वालो ने उसका पेमेन्ट किया और उस कम्पनी को पूरा नुकसान उठाके और जाना पड़ा। क्या ये जो वार्ड में कचरा उठेगा, ये डिपोलेस होगा उसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत रूप से बताये। क्या ये कचरा 3–3 कम्पनियां उठा रहीं है ? क्या एक कम्पनी ने हडताल कर दी, तो दूसरी कम्पनी भी साथ के साथ में हडताल पे जायेगी तो क्या होगा। एक डिपो से कचरा नहीं उठेगा तो कचरा लेने वाले भी कह देंगे कि कचरा कहा ले जाये। ये बी.वी.जी. कम्पनी के सामने समस्या आ रही हैं ये बहुत बड़ी समयस्या है। वार्ड के अन्दर तो हम लोगों के कपड़े फाडते हैं। एक दिन कचरा नहीं उठता है तो सुबह 4.00 बजे से फोन आना चालू हो जाता है उसको हम कैसे फेस करते है सारे पार्षद जानते है। अगर बी.वी.जी. कम्पनी 3 दिन, 4 दिन कचरा नहीं उठाती है कोई अधिकारी, एस.आई., सी.एस.आई. तक को पता नहीं लगता कि वार्ड से कचरा नहीं उठ रहा है। इसकी क्या गारन्टी है ये बताओं कि क्या ये कम्पनी क्या सबलेट करेगी इसको, इसपे भी लगाम होनी चाहिए। आज एक को दे दिया, कम्पनी दूसरो को जायेगी, तीसरे को जायेगी। किसको पकड़े। जो कम्पनियों के बीच में अभी हुआ है हमारे मालवीय नगर के जोन के जो ठेके किये थे सीवर के ठेके, वो ठेकेदार को तो पता ही नहीं वो कभी बोम्बे बैठा है, कभी फोन

करे दिल्ली बैठका है, बोम्बे बैठा, कलकत्ता बैठा है। उसके हम लोगों ने विरोध करके ठेके खत्म करवाये है। उसके बाद जोनवाईज ठेके हुए, उसके बाद व्यवस्था में सुधार हुआ। उस साल कितने परेशान हुए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसकी व्यवस्था ढंग से की जाये और जो कलेक्शन होगा वो आप कैसे कलेक्शन करोगे। इसका हमें कोई पूछा नहीं गया हमसे सर्वे के बारे में नहीं पूछा गया। आप जाओं एक मकान के अन्दर 20 किरायेदार है, किस–किस से पैसे लोगे आप, किस़–किस से पैसे लोगे एक–एक मकान में 20–20 किरायेदार है। मकान मालिक किराये पे दे गया, कोई केनाड़ा रह रहा है, कोई लन्दन रह रहा है आप किस से पैसा वसूल करोगे। वो किरायेदार एक पैसा देने वाला नहीं हैं, जिस रोज आपका पैसा नहीं आयेगा आप निगम वाले ठेकेदार को पैसा नहीं दोगे उसी रोज हडताल हो जायेगी। इसकी क्या व्यवस्था है आपके पास बताओं आप। ये तो हिन्दुस्तान है यहां पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो केनाड़ा बेस पे प्रोजेक्ट बनाया। जिस रोज हिन्दुस्तान केनाड़ा हो जायेगा, उस रोज ये प्रोजेक्ट आपका पास होगा, बढिया चलेगा। लेकिन अभी ये हिन्दुस्तान है और जयपुर की सफाई के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन इसको धरातल पर उतारने से पहले जरा सोचे।

महापौर महोदया – अच्छा, साथ ही सदस्य सचिव आप ये बात भी नोट करें, कि जो–जोन पार्षदों की जो माननीय सदस्यगणों की जो–जो आपत्तियां है उनको भी आप देखियें कि इसको कैसे करेंगे क्योंकि कही अव्यवस्था आगे नहीं हो। पारदर्शिता में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इस बार की जो ये योजनाऐं है धरातल पर अच्छे से उतरे, अच्छे से काम करे। इसको सुनिश्चित कर लेवे पहले से।

श्रीमति राजूला सिंह – मैंम इन्हे बोलने दीजिए मैरे पोईन्ट्स सुभाष जी ने बोल दिये है।

मैम, जो आपने ये योजना बताई है, लाई है बहुत ही अच्छी है। धरातल पे आ जाये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आयेगी नहीं। अभी मैं श्रीमान् जी से सहमत हूँ उन्होंने कहा है कि पैसा नहीं आयेगा, आप पेमेन्ट करोगे नही। उसके बाद में फिर वो की वो ही प्रोब्लम होगी। 3–3 कम्पनियों को अपन दे रहे हैं, 3–3 कम्पनियों को। अभी आपके नगर निगम में लाईटों को भी 3–3 कम्पनियों को बाट रखा है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं। और उस पे काम नहीं हो रहा है सारे पार्षद तकलीफ में है। 3–3 कम्पनियों को दे रहे हो।

महापौर महोदया – ये पुनरावर्ती नहीं करें, ये हो चुका है, ये विषय रख चुके है। नई बात आप अपनी रखियें।

नई बात ये है 3 कम्पनियों वाली।

महापौर महोदया – ये बोल चुके है आप। आपका और कोई सुझाव है वो दीजिए।

इसी पे दे रहा हूँ मैं। जब हम डी.सी.साहब से बात करते है या अधिकारियों से बात करते है तो यह कहा जाता है कि हम करे क्या? बी.वी.जी. कम्पनी की बात आई तब हमने कहा, साहब हमारे यहा कचरा नहीं उठ रहा है 20 दिन भी, 25 दिन, 20–20, 25 दिन तक वो घर पर पड़ा रहता है 5 दिन कचरा उठे तो आप 5 दिन का ही पैसा दो, आप 25 दिन के तो काटो। इन्होने कहा कि हम 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत उसकी कटौति करते हैं। कटौति करने से क्या वो कचरा उठ गया। हमारे वार्डो में कचरा वेसे के वेसे पड़ा हुआ है।

महापौर महोदया – सचिव, आप नोट करे कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही है ना वो नहीं बरती जायेगी। ये सुनिश्चित करें आप। वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए अगर कभी भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था निगम के स्तर से की जानी चाहिए।

इस पर पेनेल्टी का ऐसा कोई रास्ता निकाल रखा है, उसको बन्द करों पहले तो, जो पेनेल्टी के आधार पर अपन छोड़ देते है कि पेनेल्टी काटे। पेनेल्टी तो काटते रहो महिने भर, 6 महिने, सालभर काटते रहो बाकि कचरा तो वो का वो ढेर है। तो ऐसी कोई व्यवस्था करे ताकि दुबारा से कोई परेशानी नहीं हो।

महापौर महोदया – बिल्कुल, जयपुर की सफाई व्यवस्था के बारे में किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ जो है वो नहीं होगा। अब इस प्रस्ताव पर और ज्यादा विचार–विमर्श की आवश्यकता है मेरे ख्याल से क्लीयर हो गया है सारा और सब को प्रतियां जो भी है वो दे दी जायेगी। इसके बारे में अगर आप सभी उचित समझे क्योंकि प्रतियां सब को दे दी जायेगी। अच्छा तो अरूण जी कोई सुझाव हो तो ये पर्चियां जो आई है उसी क्रम में आयेगा।

श्री गणेश नाथावत – मेडम, जब आपने सुझाव मांगे थे तो हमने सुझाव दिया था कि हर वार्ड का वेरिफिकेशन पार्षद की अनुसंशा पर हो। कोई भी काम पार्षद की अनुसंशा के बिना ना हो। तो सफाई व्यवस्था और ये सारी चीजे पार्षद को फेस करनी पड़ती है लोगों के सामने, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सुझाव को ऐजेण्डे में शामिल किया जाये, कि हर काम पार्षद की अनुसंशा पे ही हो। पार्षद के वयरिफिकेशन के बिना कोई भी काम ना हो मेडम।

महापौर महोदया – आप ये कहना चाह रहे है कि स्वच्छता की जो है पूरी ये जो सफाई व्यवस्था हो रही है इसमे सन्तुष्टी प्रमाण पत्र पार्षद का चाहिए। ऐसा कहना चाह रहे हैं।

जी, बिल्कुल सही हैं। आज पार्षद जानता है वार्ड में सबसे ज्यादा क्या समस्या आ रही हैं। पार्षद भली–भाति जानता है।

महापौर महोदया – नोट करों भाई इसकों। बोलिये।

श्रीमति दिव्या सिंह – आज बोर्ड को लगभग ढेड साल हो गया है। काम के नाम पर बस आपसी खीचतान ही नजर आती है। मैम आई हेव यू सजेशन । भाजपा की बोर्ड ने जब से नगर निगम

ग्रेटर संभाला है कोई भी विजिबल और पोजेटिव चेन्जीज नहीं देखे है। महापौर की कार्यशैली जयपुर की जनता के लिए एनफौरगेटेबल है।

शौरगुल ....

महापौर महोदया – आपको सदन चलाना है। अगर सकारात्मक चर्चा करनी है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के आप सही मायने में प्रतिनिधि बनकर आये है यहा और अगर आप चाहते है सही मायने में विकास हो तो इस तरह की जगह नहीं होनी चाहिए। अनुशासनहीनता बिल्कुल कतेही बरदास्त नही होगी। गलत बात है यह। हम यहां सकारात्मक चर्चा के लिए आये हैं और इस बोर्ड को बने हुए 15 महिने हो गये। नगर निगम ग्रेटर की जनता जो है वो ये जो हो रहा है बोर्ड में ये सब कुछ जनता देख रही हैं। और आज ही इस तरह का बेहस कर रहे हैं। आपसी जो ये टोका–टोकी जो है यू विरोध करने के लिए आये है तो बिल्कुल विरोध करिये, मैं सदन स्थगित कर दुंगी। करिये विरोध आप। अगर विरोध ही करना चाह रहे है करिये आप। आप जनता को क्या जवाब दोगे? बड़ी मुश्किल से साधारण सभा हुई है। बड़ी मुश्किल से 28 जनवरी 21 के बाद में बड़ी मुश्किल से साधारण सभा हुई है। इसमें विकास के मुद्दे रखने चाहिए। बात होनी चाहिए विकास की। बात हो रही है ऐजेण्डे पर। 1 नम्बर ऐजेण्डे पर बात हो रही हैं। आप सकारात्मक सुझाव दीजिए और जो रही बात है जनता की पूरे जयपुर की, पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है कि क्या–क्या हुआ है। किसी से छुपा नहीं है।

शौरगुल ....

महापौर महोदया – सभी सदस्य सुन लीजिए 1 नम्बर प्रस्ताव, 2 नम्बर प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसके बाद आप बहस कर लीजिए किसी भी विषय पर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां जब सबजेक्ट पर चर्चा हो रही है सबजेक्ट पर ही करिये। क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग है और इस तरह आप अगर काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चलाता है इस बोर्ड को। क्या अकेल पक्ष चला सकता है, क्या अकेला विपक्ष उठा सकता है हमारा कॉडिनेशन होना चाहिए। आप विषयों पर बोलेंगे, सबजेक्ट पर बोलेंगे।

श्रीमति दिव्या सिंह – मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं सार्वजनिक स्थान है वहां पर कचरा डिपो की जगह कन्टेन्र्स रखने चाहिए।क्योंकि वहां एकसाथ सारा कचरा भरा हुआ है। आम रास्ते जो ब्लोक होते है वहां का एनवायरमेन्ट भी स्वच्छ बने। अतिक्रमण मुक्त ग्रेटर नगर निगम के लिए बहुत सख्त कदम उठाना होगा। लाईटों की व्यवस्था भी बहुत खराब है।

महापौर महोदया – दिव्या जी ये आगे के ऐजेण्डे है, नाले पर भी है लाईट, रोड़ पर भी है। जब तक आप सदन चलाना चाहेंगे 1दिन, 2 दिन, 3 दिन जब तक आपकी चर्चा खत्म नहीं होगी मैं खत्म नहीं करूंगी। आप बिल्कुल विषय पर रखिये।

शौरगुल ....

श्रीमति दिव्या सिंह – हमारे जो पार्क है हमारे घर के सामने भी जो पार्क है वहा से भी कचरा नहीं उठता है।

महापौर महोदया – नोट करियें। ये चिन्तनीय विषय है ऐसे कचरा नहीं उठना।

शौरगुल ....

श्री आशीष परेवा – मेयर मेडम आपको धन्यवाद। देर आये दुरूस्त आये आपने कम से कम साधारण सभा की बैठक तो बुलाई। और उनको भी धन्यवाद जिन्होने जीवन के हमारे जीवन के 5 में से ढेड साल खराब कर दिये। मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आई, इस बोर्ड को महापौर चल रही है या सरकार चला रही है।

शौरगुल ....बी.वी.जी. की बाते पिछले ढेड साल पहले भी यहा हुई है। बी.वी.जी. से सबकी नाराजगी थी। सब पिछले साल भी बी.वी.जी. के कार्यकाल से असन्तुष्ट थे। चलो बी.वी.जी. का कार्यकाल हो गया। अब आये है नई कम्पनी लेकर आ रहे हैं उसके लिए मेरा सुझाव है। पहला सुझाव, आपने व्यवस्था की है क्यू.आर. कोड की। मेरे वार्ड में 9 बडी टाउनशिप है। 9 टाउनशिप कोई 12 मंजिल कोई 15 मंजिल तो वो क्यू.आर. कोड उनके उपर जाकर बिल्डिंगों पर भी लगेगा क्या? पहली चीज। दूसरी चीज मेडम, क्यू.आर. कोड आपने लगा दिये, क्या गारन्टी है कि आपने क्यू.आर.कोड जहा लगा दिये आपकी गाडी वहां जायेगी और जाने के बाद वो स्केन होंगे, हो सकता है उन्हीं का आदमी वहां आये मशीन लेकर और बिना गाडी को लाये हुए स्केन कर के ले जाये। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अभी तक जो बी.वी.जी. का कार्यकाल हुआ है आपने इनका श्डयूल जो बनाया हुआ था वो गाडी श्डयूल में वहा आती भी नही थी फिर भी वहां शो होता था कि. गाडी वार्ड में घूम रही हैं। इसकी क्या गारन्टी रहेगी? एक मेडम में आपसे बडी चीज कहना चाह रहा हूँ। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है। हम यहा कांग्रेस, बीजेपी करने नहीं आये है अगर कांग्रेस बीजेपी करो तो विकास की बात ही खत्म हो जाती हैं। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि आप विकास की बात करो, विकास की बात करो। मैं यहा बैठे हुए प्रत्येक सदस्य से पूछना चाहता हूँ क्या ढेड साल आपको लगता नहीं है वाक्यी में हमारे खराब हुए है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। पहले हमे जनता ने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है यहा पर। हमारा पहला फर्ज जनता के प्रति है। और जनता ने बहुत उम्मीदों से बनाकर भेजा है लेकिन इन ढेड सालों में मुझे नहीं लगता मै तो मेरी बता दूं और किसी का पता नहीं। मुझसे तो अभी तक कोई उम्मीदे पूरी हो नहीं पाई। कचरे की गाडी की आपको हालत बताउ, 3–3 वार्डो में 2–2 गाडिया दौडा रहे हैं। कोई मोनेट्रिंग नहीं है कोई शिकायत भी उनकी अटेण्ड नहीं करता, कोई सुनने वाला नहीं है। अब

आपको मै एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये मोनेट्रिंग के लिए आप इसमें पार्षद को स्वयं को इन्चोल करें।

महापौर महोदया – अभी कहा है ना इसमें पार्षद को मेडम, मैं ये चाह रहा हूँ ये जो कम्पनी आ रही है नई इसके अलावा वार्ड में अगर 1 रूपये का भी कार्य हो, चाहे वो लाईट का हो, चाहे नालों की सफाई का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। उसमें पार्षद की अनिवार्यता होनी चाहिए। बिना पार्षद की अनुसंशा से कोई भी बिल पास ना हो। आज आपको में एक उदाहरण देता हूँ, हमारे सभी साथी बैठे हुए है, सफाई कर्मचारियों का टाईम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का होता है और दूसरा 2 से 6 बजे तक होता है। मैने तो ढेड साल के कार्यकाल में 4.00 बजे के बाद किसी भी सफाई कर्मचारी को देखा नहीं। अगर आप किसी ने देखा हो तो आप सहमति कर देना। 4 बजे के बाद में मैने किसी को नहीं देखा। अगर आप ये सोच रहे हो आपके यहा बैठे अधिकारियों के भरोसे या निगम में जोनों में जो अधिकारी बैठे है उनके भरोसे आपकी ये कम्पनी चल जायेगी या सफाई व्यवस्था में सुधार हो जायेगा, कतेई भरोसा नहीं करो। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप ये जो नया प्लान है आज ही फेल है। इन सभी में पार्षद को कही आप इनवोल रखों और बहुत सारी चीजे ऐसी है, आज आपने ये पूरा प्लान बना लिया इन पार्षदों को कही भी पता नहीं है। किसी भी चीज का पता नहीं है। और जब पार्षद को ही पता नहीं है तो पार्षद जनता को क्या जवाब दे। के भई आपकी नई प्लानिंग क्या है किस तरह से आप कचरा उठाओंगे। अब मेरे वार्ड में क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। पतली गलियां भी है रास्ते सड़के है नही, तो रास्ते भी खराब है। गाडियां अन्दर तक जा नहीं पायेगी। बहुत ज्यादा रास्ते खराब है और वो बाहर खड़ी होगी तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी? दूसरी एक चीज दे रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ।

महापौर महोदया – ये आपका अच्छा प्रस्ताव है इसको नोट करे कि जब भी कोई कार्य व्यवस्था या नई कुछ भी बनती है ना, तो उसमें बनने के बाद में, फाईनल होने से पहले मतलब बोर्ड के अन्दर अनुमोदित से पहले ही एक बार सभी पार्षदों के साथ में कमेटी के चेयरमेनों के साथ में भी बैठे, चेयरमेन्स के साथ में बैठकर चर्चा करके उसको लाईन को अच्छे से तैयार होने के बाद सभी पार्षदों के साथ भी एक बार बैठे और पार्षदों के सुझाव भी उसमें ले, कि क्या इसमें नया सुधार हो सकता है या किस तरह की कोई नई कमियां है क्योंकि हर वार्ड की अलग–अलग समस्याएं है, उस समस्या को पार्षद जानता है उससे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है। तो इसके बारे में विचार–विमर्श अच्छा सा होकर फिर एक अच्छा बनना चाहिए। अभी रमेश जी ने जैसे बताया कि कुछ ऐसा ना हो की उपर से प्लान आ गया और वो नीचे जाकर खत्म हो गया। और ये संबंधित

जो जो माननीय सदस्य शिकायते कर रहे है कि इस तरह नहीं हो रहा है यह कार्य व्यवस्था, जो अब तक के लिए इसके लिए जिम्मेदार है ना उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी बिल्कुल।

एक मेडम मै ये पूछना चाह रहा था कि अपन ये क्यू.आर. कोड़ लगा रहे है मेरे वार्ड में लगभग 4500 के आस पास मकान है लेकिन उनमें आधे मकान तो किरायेदारों के लिए छोड़ रखे है, मकान मालिक वहा रहते नहीं है, क्या गारन्टी है कि किरायेदार आपके क्यू.आर. कोड़ लगायेंगे? क्या गारन्टी है इसकी कि वे लगवाने देंगे? जब उनको लगेगा कि वो हमसे पैसा लेंगे, वो मना कर देंगे कचरा हमारा बाहर ही डाल देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या प्रावधान होगा की वो कम्पसरी हो कि उनको लगवाना ही पड़े। दूसरी चीज ये अपने सौच रहे है कि इनका कलेक्शन नगर निगम कर सकता है, कतेई कलेक्शन नहीं होगा, कतेई नहीं होगा। या तो ये लाईट के बिल में जुड के आये, पानी के बिल में पोसिबल नहीं है क्योंकि हमारी तरफ तो 1–1 साल 2 साल से पानी के बिल ही नहीं आ रहे हैं। तो ये तो आपका जभी रिकवरी जो रेवेन्यू रिकवर आपका तभी होगा जब ये लाईट के बिल में जुड के आयेंगा। क्योंकि लाईट के बिल में अगर जुडके आयेगा तो चाहे किरायेदार हो, चाहे मकान मालिक हो सबको ये देना पडेगा।

महापौर महोदया – ठीक है, अब आशीष जी इस प्रस्ताव को पास कर दे और इसके बारे में जो है, ये आप जो बता रहे है कि कैसे क्या होगा, एक पार्षदों की अलग से एक संगोष्टी जैसे रख लेंगे। वहां विचार–विमर्श भी होगा और सारी कॉपियां तो अभी आपको मिल ही जायेगी। आप पढ़ ले अगर आपको लगता है, क्योंकि ये बार–बार मेरा कहना है कि पार्षदों हर योजना में, हर सरकारी योजना में पार्षद का इन्वोलमेन्ट होना बहुत जरूरी है, अगर हम उसको धरातल पर लेकर आना चाहते है, अगर हम उसको साकार करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपके अच्छे सुझाव है।

मेडम, मैं एक चीज और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे अगर आप वो सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था का संचालन अच्छे से करवाना है, अगर नगर निगम ग्रेटर की आपको रेटिंग बढ़वानी है तो आपको विशेष आग्रह है कि वार्ड में कोई भी विकास कार्य हो, बिना पार्षद की अनुसंशा से कतेई ना हो।

महापौर महोदया – इसको सुनिश्चित करें। अब 1 नम्बर प्रस्ताव को पास करें। अब इनको बोलने दीजिए।

मैं, ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा वार्ड छोटी–छोटी ढाणियों में बटा हुआ है तो मैं ये चाहती हूँ ज्यादा टाईम मैं नहीं लेना चाहती। क्षेत्रफल के हिसाब से तो हुपर दो। क्योंकि अभी बताया कि सांगानेर जोन में 46 हुपर कुछ है, तो वार्ड ही 39 है तो 1–1 हुपर वो कचरा नहीं उठा पायेगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ही हुपर और कर्मचारी हमे बाटे जाये। धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार शर्मा – सम्मानीय महापौर महोदया, ये जो सफाई का जो प्रस्ताव आया है, 7 जोनो का निविदाएं है। इन 7 जोनों में मै थोड़ासा ये ही समझना चाह रहा था कि बी.वी.जी. कम्पनी को हटाकर हम 7 को ला रहे है या बी.वी.जी. कम्पनी को रखकर 7 को रखेगें। थोड़ा सा दिमाग में आया था तो मै देखा पूछ लू एक बार। कि बी.वी.जी. के साथ इसको रखेंगे या बी.वी. जी. को हटाकर इसको रखेंगे। एक इसमें यह था कि टेण्डर जो हम करते हैं अब जैसे लाईट का टेण्डर, सफाई का टेण्डर है। टेण्डर को देखकर कम्पनियों के जो जवाब आते हैं वो एक्स.ई.एन. लेबर के लोगों से बात ही नहीं करते। कमिशनर साहब से बात करते है क्योंकि बजट में उनको पैसे देने के लिए फाईल उनके पास जाती है। वो ये कहते है कि करना है जो कर लो हम तो लाईट को काम ऐसे ही करेंगे, सफाई का काम हम तो ऐसे ही करेंगे। सफाई का हमारा ये काम नहीं है ये हमारा एक संकल्प है, सफाई के लिए ये एक सतत प्रक्रिया है जो निश्चित रूप से राजस्थान पत्रिका में मैने एक बार बढ़ा था कि पार्षद जो सुबह 6.00 बजे उठकर पहले सारे सफाई कराके फिर घर आकर नाहते धोते थे और ये काम होते थे। तो इतना ये आज से नहीं बर्सो से है, नगर पालिका के समय से ऐसा है। हम सफाई के मामले में ही, कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने सोचा नहीं। ये केवल हमारे माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने

शौरगुल..................

महापौर महोदया – चाय–पानी के लिए सदन को स्थगित किया जाता है।

मैडम गर्मी मरग्या

सम्मानीय सदस्य सबसे पहले सभी आप बैठ जाये अब 1 नम्बर प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा हो गयी, मैम प्रस्ताव पर हो गयी पर इस हॉल का ऐसी खराब है और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब इसका पसीने से कश्मीशनर साहब ने कहा था कि मीटिंग लेट इसीलिए थी कि ए सी खराब है। अधिकारियों को पता था कि बोर्ड मीटिंग नहीं होगी मैडम पीछे माइक भी नहीं है बोलने के लिए, मेयर साहब ने कहा की कूलिंग एक बार चैंक करवा लिजियें मैडम काफी टेबिलों पर माइक की व्यवस्था नहीं है। जिससे आप तक बात नहीं पहुंचा पा रहे है। मेयर साहब ने कहा कि अब कूलिंग चैक कर रहे बोर्ड की मीटिंग को विधिवत रूप से शुरू करते है। हा बताये रमेश जी अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव नं. 1 पर खूब चर्चा/विस्तृत चर्चा हो गयी है। मैडम इस पर अभी चर्चा होने दो अभी सुझाव बाकी है आना। मैडम चर्चा होने दो मैयर साहब सफाई का मैटर है और सफाई पर चर्चा हो रही है एक रोड़ स्वीपर मशीन है जो एक सफाई का ही मुद्दा है उस पर भी चर्चा कर ली जाये,

श्री अक्षत खुँटेटा :– ने कहा मैयर साहब पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहां पर एक नोटिस में आया है कि कोई पार्षद प्रतिनिधि भी बैठा हुआ है कृपया उसको बोर्ड मीटिंग से पहले बाहर

किया जाये पार्षद प्रतिनिधि अन्दर नहीं बैठ सकते है पार्षद है तो ही बैठ सकता है पार्षद प्रतिनिधि नहीं राजुला सिंह जी के कहा बैठे है क्यो गलत भ्रम फैला रहे है मैयर साहब ने कहा ऐसी बाते नही करें। देखो इस सदन की गरिमा सब को पता है। सभी को पता है सभी सम्मानीय पार्षदगन ही बैठे है राजुला जी प्लीज बैठिये सुभाष जी, राजेश जी, ... शोरगुल

महापौर महोदया :– ने कहा कि बिना तथ्यों के पुष्टि के ऐसी बाते नहीं करें। .....शोरगुल ...... माफी मांगो, माफी मांगो .... शोरगुल .... मेयर साहब ने कहा किसी को भ्रम होना एक अलग बात है किसी जानबूझ कर इनटेंशन नहीं है कृपया शांति बनाये रखे अगर कोई बात होगी ऐसी अगरिमा मय बात होगी किसी सम्मान को ठेस होगा तो अलग बात होगा यहा एक मीनिट आप यहा सभी बैठे। लादूराम जी दुलारिया आप तो बडे सीनियर हो आप सबको आप बताये ना देखिये मेरी बात सुनिये तारा जी पहले बात सुन लीजिये आप एक बार बैठिये पहले बैठिये पहले बात सुन लीजिये प्रदीप जी, बच्चु जी एक बार बात सुन लीजिये पहले एक बार बात सुनेगे सभी पार्षद बैठे शोरगुल................................. मेयर साहब ने कहा पहले मेरी बात सुनिये एक बार मेरी बात सुनिये हम यहा 150 लोग है और हमारी साधारण सभा दूसरी साधारण सभा है अगर बार–बार हर दो महिने अगर साधारण सभा की जाती न तो शायद तो हमारे सभी पार्षद महोदय एक दूसरे को जान चुके होते अभी कही न कही जो है जो अलग–अलग जोन से हो जो पहचानते भी नही हो तारा जी मेरी बात सुनिये .... मेयर साहब ने बोला किसका नाम लिया लगातार बोर्ड बैठके करते रहेगे सभी एक–दूसरे को जान जायेगें। फिर कोई ऐसी बाते सकते है क्या हमारे ऊपर, दर्शक दीर्घा बनी हुयी है। वहा सब आमंत्रित है वहा सब बैठे हुये है। सभी को पता है सभी सदस्यों को इस सम्मान की गरिमा सब रखते है सबको पता है। ....शोरगुल.........

महापौर महोदया :– ने कहा सब अपनी–अपनी जगह बैठ जाये पहले अपनी–अपनी जगह बैठ जाये ....शोरगुल .... मेयर साबह ने कहा मेरी बात सुनिये बहुत नारे हो गये मै बताती हूं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यह सदन इस बात को जानता है बैठिये आप मुझे बतायेगे कि एक्जेक्टली बोला क्या है यहा मेरे बात आयी नही क्या बोला एक एक आदमी बोलिये हां राजेश जी आप बोलिये क्या बोला एक मीनिट क्या बोला करण जी , राजेश जी आप बताये, ... शोरगुल .... मेयर साहब ने कहा आप अपनी जगह बैठिये एक बात सुनिये आप अपनी–अपनी जगह बैठिये आप दोनो पक्ष साथ में मिल गये है आप अपनी–अपनी जगह बैठिये इधर से राजू लाल जी अब अपनी बात रखेगें इधर से जिनको आपत्ति है एक–एक आदमी .... शोरगुल ...... मैयर साहब ने कहा कि मैं आश्स्त करती हूं दोनों पक्षों की बात सुनी जायेगी ऐसे नही दोनो पक्षों की बात आमने–सामने करके सदन के सामने रखा जायेगा। कृपया बैठिये .... शोरगुल .... दोनो पक्षो को ही शब्द वापिस लेने होगे बैठिये बैठिये आप बैठिये सब बैठिये

.... शोरगुल .... सभी सम्मानीय सदस्य हम सदन चलाना चाहते है सभी सम्मानीय सदस्य अपनी–अपनी जगह बैठिये सभी अपनी जगह बैठिये एक बार दोनो पक्षों की बात सुनी जायेगी एक बार अपनी जगह बैठिये हम क्या विकास का रोड़ मैप आपस में एक–दूसरे पर ऐसा करके करेगें क्या जनता ने चुनकर इसलिए भेजा दोनो पक्षो की बात सुनी जायेगी उधर राजूला जी बोलेगे हमारी नारी शक्ति अपने आप में इतनी समर्थ है जो अपने आप अपनी बाते बोल सकती है .... शोरगुल .... अगर ऐसे झगड़ा करेगें तो सदन कैसे चलेगा। राजूला जी इधर से अपनी बात रखेगी, इधर से आप अपनी बात रखेगें। एक–एक आदमी बाकी सब बैठिये आप अपनी–अपनी जगह बैठिये एक बार। .... शोरगुल .... प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी एक बार बैठ जाये, प्लीज एक बार बैठ जाये, सभी एक बार चुप हो जाये। राजूला जी आप पहले पानी पीजिये अच्छे से। आप ये बताये ये सभी के लिए सम्मानीत जगह है, यहां सभी को सम्मान देना है और यहां सम्मान के बीच में इस तरह का विषय आना ही नही चाहिए, अगर आप इसी बात के लिए झगड़ेगे तो विकास कब करेंगे यही रह गया की बोर्ड को हंगामें की भेंट ही चढ़ाना चाहते हो, कि ये बोर्ड ऐसे ही अस्थिर होता रहे, ऐसा ही चलता रहे। बस जनता को कोई लेना–देना नही है। हम सब अपनी मर्जी ऐसा नहीं चलता है। जो गलती है उसमें गलती क्षमा बढन को चाहिए, छोटन को उत्पात जो अपनी गलती पर गलती हो गयी तो वापस लेता है। राजूला जी आप बैठिये अक्षत जी अब आप बताये विकास जी आप बीच में नहीं बोलोगे .... शोरगुल .... विकास जी आप इतने समझदार हो आप ये बताओं कि किसी के कहने से ऐसे छोटे–छोटे विषयों पर हम बात करने लग जाये, कि दिव्या सिंह माफी मांगेगी, इन चीजों से क्या हो जाना है, अक्षत जी अब आप बताये क्या हुआ, अक्षत जी ने कहा पहली बात तो मैं यह क्लियर कर दूं मैने अगर शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे संशय था। इस लिए मैने बोला था मैयर साहब ने कहा बीच में नही बोलेगें, बीच में नही बोलेगें, अरे बीच में नहीं बोले आप चाहे तो रिकॉर्डिंग भी निकलवा सकती है। अगर शब्द का यूज नहीं किया होगा, तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर यूज किया होगा तो यह मांगेगे क्या माफी..... जहा तक मेरे को समझ में आ रहा है कि इस कुर्सी पर बैठकर मेरे लिए आप सभी सम्मान हो और सम्मानता के नाते मैं कह रही हूं कि हम लोग आपस में नहीं मिलते हम आपस में जानते ही नही एक–दूसरे को आप लोगो को पता है क्या इधर से इन पार्षदों के नाम पता, नहीं पता ...... अगर किसी को भ्रम हो गया हो तो विषय को नहीं .... शोरगुल .... तो फिर रिकॉर्डिंग चैक करवायी जायें, श्याम जी रिकॉर्डिंग चैक करवावो और उस वक्त अगर क्या शब्द बोला है। चैक करवावो छोटी–छोटी विषयों पर हम ऐसी बाते क्यूं कर रहे है।

......शोरगुल .... अरे नहीं विकास जी जब डिप्टी मेयर साहब बोल रहे जब बीच नहीं बिल्कुल बीच में नहीं, आराम से हो गयी हां जब आप ऐसे नहीं बीच में नहीं बोलेगे जब दो लोग बात कर रहे है, आपस में विषय बता रहे बीच में ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, अब आप यह बताओं पहला प्रस्ताव पास कर दे।

श्री. लादूराम दुलारिया :– ने कहा कि इस प्रस्ताव पर पार्षद की क्या भूमिका रहेगी। उसके मामले में मेरा निवेदन है मेयर मेडम इसमे पार्षद की क्या भूमिका तय की गयी वो बताये इस पर महापौर महोदय ने सदस्य सचिव जी पार्षद की भूमिका बताने के लिए निर्देशित किया। क्या दुलारिया जी आप पार्षद की भूमिका पूछ रहे है, हां हमारी क्या भूमिका है हम क्या करेगे इसमें, हमारे को क्या करना है, हमारे बिगेर ही पास कर दोगे, बिल पे हमारे..... एक मीनिट आप बताये इसमें पार्षदों के पास में...... अभी–अभी हमने एस.आई. सी.एस.आई. और उनको हेल्थ ऑफिसर को जोड़ा और लिकं अधिकारी डी.सी. को जोड़ रखा हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारे बिना टेण्डर भी हो गया, हमारे बिना बिल भी पास हो गया, हमारी जानकारी मे नही है मेयर साहब ने कहा कि इसमें पार्षद की संतुष्टि/अनापत्ति जरूरी है बीच में स्वाती परनामी जी ने बताया कि हमेशा की तरह पता होगा कि हमारी क्या भूमिका है, यहां सिर्फ पास होने तक हमारी भूमिका है, उसके बाद सभी इन्ही की भूमिका है ठीक है आप अभी तक भी नहीं समझे, मेयर साहब ने कहा कि अब डिप्टी मेयर साहब अपनी बात रख रहे है अब इनको रखने दीजिये ....शोरगुल...........

उप महापौर ने कहा कि अगर आप दो मिनिट मेरी बात शांत मन से सुन लेगे तो मैं आभारी रहूंगा। यह जो टेण्डर है अभी हुआ नहीं है यह इसका प्रस्ताव है इस प्रस्ताव में क्या–क्या सुधार होने चाहिए, यही प्रस्ताव इस सदन के सामने लेकर आया है। आप अपने सुझाव दे बहुत सारे लोगो ने बहुत अच्छे सुझाव दिये अभय जी लगातार नोट कर रहे है वो भी नोट कर रहे है मेयर साहब भी नोट करवा रही है रिकॉर्ड भी है। मेरा इतना निवेदन है कि हम सब ने 17 महिनो में अगर सर्वाधिक त्रासदी किसी से झेली है तो वो बी.वी.जी. कम्पनी की कार्य पद्धति है। आप इस बात से तो सहमत होगें, आज हम उसको बदलकर एक दूसरी व्यवस्था लाना चाहते है। उसमें आपके जितने भी प्रश्न हो उसको पूछिये पर उस प्रश्न का जवाब आपको मिले उसका इंतजार भी आपको करना पड़ेगा। अगर हम जल्द बाजी में मेयर साहब ने तो लगातार कहा है आप दो दिन चाहोगे, तीन दिन चाहोगे यह सदन चलेगा, लेकिन हम कन्स्ट्रेटिव सुझाव के साथ आये। यह प्रस्ताव बहुत मेहनत से बना है मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। इस पूरे प्रस्ताव के निर्माण में मै लगातार इनवॉल रहा हूं इसलिए में यह आपको बता रहा हूं और इसकी ट्रान्सपेरेन्सी का लेवल हाईहेस्ट होने वाला है। आप मुझे एक मिनिट दीजियेगा, आर.एफ.आई.डी. जिससे क्यू.आर.कोड़ बोल रहे थे भाई लोग वो आर.एफ.आई.डी. वो चिप है, जिसमे रियल टाईम डेटा जनरेट होएगा।

मेरे घर पर 8 बजकर 42 मिनिट 45 सैकेण्ड पर अगर कचरा लिया गया, तो वो मेरे ऐप पर भी मैं वहा का पार्षद भी हूं तो मेरे ऐप पर भी दिखेगा यहां कि स्क्रीन पर भी दिखेगा, यहां डेटा रिकॉर्ड भी होएगा। उसको वेरिफाई भी किया जा सकता है। बीच में तारा जी ने बोला कि वो काम तो बी.वी.जी. कम्पनी भी कर रही थी। बीच में मेयर साहब ने तारा जी को रोकते हुए बात पूरी होने दीजिये डिप्टी मेयर साहब को बोलने दीजिये फिर आप बोलिये डिप्टी मेयर साहब ने कहा कि मैं आपकी बात मानता हूं आप मेरी बात मानती है आप तो बैठ जावो 2 मिनिट। मेरा आपसे निवेदन यही है कि इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ठीक ढ़ग से क्योंकि बी.वी.जी. के कारण हम सब ने अपने–अपने क्षेत्र के अन्दर समस्याओं को झेला है। आपके जितने प्रस्ताव हो, जितने सुझाव हो, अभी प्रस्ताव केवल मात्र इतना सा है कि हम बी.वी.जी. को हटा दे और बी.वी.जी. के स्थान पर एक वैकल्पिक व्यवस्था लेकर आये। वो वैकल्पिक व्यवस्था जोन वाईज हो जोन वाईज के अन्दर यह व्यवस्था हो कि सबलेटिंग नही हो, जो कम्पनी आये वो इतनी सक्षम हो कि वो ठीक ढ़ग से अपने काम को कर सकें। इन सब चीजों का एक प्रस्ताव है कि आपकी सहमति चाहिए कि बी.वी.जी. को हटाकर हम जोन वाईज सफाई की व्यवस्था लाये। डोर–टू–डोर कलेक्शन की, उसके सैकेण्डरी ट्रान्सपोटेशन की बात अलग है उसमें भी मेरे कुछ सुझाव है, मेरे भी अभी रिर्जवेशन है उसमें पर यह जो पहला पार्ट है जो पार्षद को सबसे ज्यादा तंग करता है सुबह 6 बजे से उसके पास फोन आने शुरू हो जाते है एक बजे तक हमारे पास गाड़ी नहीं आयी, बी.वी.जी. का हूपर नहीं आया, आया है तो पैसे मांग रहा है, काम नहीं कर रहा, तीन दिन में आया चार दिन में आया, जो आप कह रहे है ना, ये कन्ट्रोल पार्षद के पास जाये, तो कन्ट्रोल का तो मुझे मालूम नहीं, वो तो कानून इजाजत देगा तो वो आपके पास चला जायेगा, पर प्रोपर इनफॉरमेशन आपके इस मोबाइल पर होगी, इसकी गारन्टी मैं करता हूं आपको। आपके वार्ड में जितने भी घर है उस घर में वो गया या नहीं गया, आपके वार्ड में 1567 घर है, आज उसने 1312 घर में काम किया है। आज वो 900 घर ही गया है ये शाम को 4 बजे आपके यहा लॉक हो जायेगा, लॉक हो जायेगा तो एक अधिकार जनप्रतिनिधि के नाते आपके पास आज भी है। उसके लिए किसी साधारण बोर्ड की अनुमति की जरूरत नहीं है आपको। कि पार्षद की अनुशंषा पर ही भुगतान होगा। अगर आप जागरूक है और तथ्य के साथ लिखकर दे देगें। तो जो भुगतान करने की गलती करेगा, उसको आगे तक की जिम्मेदारी खुद को उठानी पड़ेगी। अभी दिक्कत यह है कि जो हम जनप्रतिनिधि है, हम किसके प्रतिनिधि है, जनता के डेमोक्रेसी में मालिक कौन है जनता। हम मास्टर्स के प्रतिनिधि है यहा पर। हम हर बार चिंता करते है लोक सेवक क्या कर रहा है। वो पब्लिक सर्वेन्ट है पब्लिक सर्वेन्ट होना कोई कमतर होना नहीं है उनकी अपनी जिम्मेदारी है पर हम हमारे अधिकारों का उपयोग ठीक ढ़ग से नहीं कर रहे है। इन 17 महिनों में अगर जो

सर्वाधिक मुझे किसी चीज से शिकायत है, इस बोर्ड से तो यह हमारे सारे पार्षद भाई अपने अधिकार का ठीक ढ़ग से उपयोग नहीं कर रहे है। इस लिए मनमानी हुयी है अधिकारियों की इस लिए मनमर्जी के बिल पास हुये है। इसलिए ये सारी की सारी नाकामी जो सिस्टम की है जो अधिकारियों के मॉनिट्रिंग की है उसको झेलना हम जनप्रतिनिधियों को पड़ता है। मेयर साहब ने पहली बार कहा था कि हम अच्छा काम करेगें अभी कहा बीच में शील जी हमारी साधारण सभा नहीं हुयी मैं यह भी मानता हूं हर 2 महिने में अगर साधारण सभा हो। बीच में रोकते हुए मुद्दे की बात करें आप। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहा रहा हूं इस प्रस्ताव को लाने से आपके यहां जोन वाईज एक बेहतर व्यवस्था होगी, ट्रान्सपेरेन्ट व्यवस्था होगी, इस प्रस्ताव का अभी टेण्डर नहीं हुआ है, मेयर साहब पहले ही कह चुकी है कि आपके जो भी प्रस्ताव होगें उनके प्रस्तावों के लिए विचार विमर्श करने के लिए ऑपन है आप कभी भी मेयर साहब के पास जा सकते है, सफाई समिति चैयरमेन के पास आ सकते है, अगर आप मेरे पास भी आना चाहे तो मेरे पास भी आये मैं भी आपके विचार/सुझाव को सही जगह पहुचाउंगा पर हमे बी.वी.जी. से मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए, बी.वी.जी. से मुक्ति चाहिए तो एक नयी व्यवस्था को आने दीजिए, आप नयी व्यवस्था आयेगी तो उसमें संभावना है बी.वी.जी. में कोई संभावना नहीं है। वो रोज ब्लेकमेल करता है, रोज हमारे से पैसे लेता है और आप जिस क्षेत्र में वहां आपके वोट कम हो रहे है। आप ध्यान कर लेना इस बात को मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में मेरे वोट कम हो रहे है मेरी पार्टी के। एक मुद्दे पर एक हो जाये कम से कम। हम पैसा भी देगें, हम लोगों की गाली भी खायेगें, इस लिए मेरे दोस्तों एक बार इस प्रस्ताव को पास करें, यह प्रस्ताव पास होना सिर्फ इतनी सी बात है सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि जो हमने 28 जनवरी 2021 को प्रस्ताव पास किया था। हम बी.वी.जी. को हटाएगें, एक नयी व्यवस्था लायेगें। चूंकि एक बहुत लम्बा समय बीत चुका है, उस प्रस्ताव के आधार पर भी नया आ सकता था। इसको साधारण सभा में लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन साधारण सभा में इसलिए लाया गया कि हम सब भाईयों को यह पता पडे कि नयी व्यवस्था का स्वरूप क्या है। उसमें जो आपका प्रस्ताव है जो आपके सुझाव है उसको भी हम शामिल कर सकें। जब हम शामिल करते है तो मेरा बहुत स्ट्रोरग विश्वास है। जो कलेटीव विजिडीम है वह सर्वे श्रेष्ठ है। किसी के पास ज्ञान नहीं, इतना की वो दूसरे को ज्ञान दे सकें। पहले किसी भाई ने कहा ज्ञान की जरूरत नहीं है, मेरे पास है भी नहीं। जो है वह बहुत सीमित है। इस लिए बहुत थोडा ही खर्च कर पाता हूं, थोडा ही है इसलिए थोडा ही खर्च कर पाता हूं। आप सब के जो सुझाव आयेगें मैं समझता हूं अभय जी, रामस्वरूप जी, रामकिशोर जी या मुकेश जी बैठे हुये है, बाकी लोग बैठे हुये है, वो मेयर साहब के निर्देशन में उन सबका एक बेहतर कम्पाइलजेशन करेंगें, और एक इनफॉरमल मीटिंग करके ओर हम एक टेण्डर लेकर आयेगें।

टेण्डर लेकर आयेगें तो नयी व्यवस्था आयेगी, नयी व्यवस्था आयेगी तो आपको भी शकून आयेगा और हम को भी शकून आयेगा, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमति तारा बेनीवाल :– नें कहा कि धन्यवाद, महापौर महोदय मैं आपकी बात से सहमत हूं जो यह प्रस्ताव मैं भी बिल्कूल दुःखी हूं बी.वी.जी. से। क्योंकि मेरे वार्ड में भी वहीं समस्या है जो सबकी थी, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है जो हम बात कर रहें हैं नियमों की मोबाईल पर आने की स्वेप करवाने की वो अभी भी हो रही है। उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ पार्षद के पास फोन आते है, किसी एस.आई के पास फोन आता है वह नहीं उठाता। मेरे पास रिकॉर्डली चीजे है न तो एस.आई. के पास न सी.एस.आई. के पास फोन आता है, पर मुझे नहीं लगता उसका सॉल्यूशन वह आपके मोबाईल के स्वेप से होगा या नहीं। यहा जिम्मेदारी तय करनी होगी, जो कम्पलेन्ट नंबर आता है उस पर कम्पलेन्ट करने के लिए मैं बोलती हूं क्योंकि मैं अधिकारियों से बात करती हूं उस पर भी कम्पलेन्ट करवाने पर सुनवाई नहीं होती, आपने डेढ वर्ष पूर्व भी आश्स्वत किया था पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

महापौर महोदया :– ने कहा कि माननीय पार्षद महोदय इतने परेशान हो रहे थे यह निविदायें पहले ही तैयार हो चुकी थी तो अपलोड क्यों नहीं की गयी, अगर पहले बोर्ड के निर्णय की अक्षरशः पालना की जाती तो आज ये स्थिति उत्पन नहीं होती और जो इसमे लापरवाही की उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए यह सदस्यगण ऐसे परेशान नहीं होगें। सदस्य सचिव, देरी का कारण बताये, अगर यह टाइम से होता तो आज यह स्थिति नहीं होती।

श्री रामकिशोर प्रजापत :– नें कहा कि मेयर साहब आपने मेरे को बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे डिप्टी मेयर साहब बार–बार यह कह रहे है कि ए.बी.सी. तीनों चैयरमेनों को टेण्डर के बारे में पता है। जबकि किसी भी मीटिंग को मैने ज्वाईन नहीं किया, मुझे किसी मीटिंग में बुलाया नहीं गया। मेयर साहब ने कहा क्यों नहीं बुलाया गया, तो रामकिशोर प्रजापत ने कहा मुझे क्या पता ये तो सीईओ साहब से पूछिये मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। ....शोरगुल .... मुझे इस सदन के माध्यम से बताया जाये की मैं चैयरमेन हूं या नहीं ....शोरगुल ....

महापौर महोदया :– ने कहा सदस्य सचिव आप जवाब दीजिये कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया कोई कारण हो तो स्पष्ट करिये, आयुक्त महोदय ने कहा आप सभी को विदित है सफाई समिति ए के जो चैयरमेन है उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से इस संबंध में मार्ग दर्शन चाहा है कि आपको जिन मामलों में प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हो उन मामलों में उनको क्या यह अधिकार है कि वो अपनी समिति की बैठके कर सकते है या नहीं। .... शोरगुल ...... मेयर साहब में कहा एक मिनिट एक बार सब बैठिये एक

बार जवाब आने दीजिये इस जवाब में आगे कुछ ओर है बताये आयुक्त महोदय ने कहा जब इन इश्यूज पर समितियों के संबंध में मेयर महोदय के यहा से मेरे पास एक नोटशीट भी आयी थी उस संबंध में भी मैने लिखित में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। समितियों के गठन और समितियों के क्षेत्राधिकार के संबंध में राज्य सरकार के आदेश के बाद मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित चल रहा है, और उस संबंध में समितियों के संबंध में भी जो द्वितीय प्रस्ताव आया था उसके संबंध में भी मैने वहीं विधिक राय प्रकट की थी कि चूंकिं प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उन पर चर्चा नहीं हो सकती है। (2) आप यह पढ़ ले अपने कार्य विधि नियम में भी बिल्कुल स्पष्ट है नियम 12 उसमें यह स्पष्ट वर्णित है प्रकरण मान लीजिये न्यायालय में विचाराधीन है। तो उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, चूंकिं अध्यक्ष महोदया ने मुझे यह कहा है कि मैं जवाब दूं इस लिए मैने आपको तथ्यों से अवगत कराया।

महापौर महोदया :— सरकार से मार्गदर्शन नहीं मिला अभी तक तो यह अपने आप में 1 से 50 वार्डो में अन्याय हो रहा है, और इस तरह के मार्गदर्शन में तुरन्त आ जाना चाहिए था .... शोरगुल .... निदेशक विधि को माइक देने के लिए मेयर साहब ने कहा पीछे माइक दे दो .... शोरगुल .... जवाब आने दीजिये हमारे संविधान में एक प्रक्रिया बनी हुयी है रामस्वरूप जी ने जो पूछा उसका जवाब आने दीजिये .... शोरगुल .... शांति से बैठिये सब एक बार .... इस सदन में 150 लोग है जनप्रतिनिधि है अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कब तक पुरा होगा, एक बार बैठिये निदेशक विधि एक मिनिट एक मिनिट .... शोरगुल .... अपनी—अपनी जगह बैठिये ऐसा नहीं चलेगा गलत बात है सदन में सदन की बात होनी चाहिए सदन में सदन के अलावा बाहर की किसी ने बात की तो सदन से बाहर निकाल दिया जायेगा। बैठिये सब, बैठिये सब, सदन में सिर्फ सदन के पार्षदों की बात होगी यहा के कर्मचारियों की बात होगी, यहां के अधिकारियों की बात होगी। इसके अलावा बाहर की यहां कोई बात नहीं होगी। स्वाती जी बैठिये, स्वाती जी बैठिये, बैठिये एक बार बैठिये, ... शोरगुल............... एक बार सभी बैठिये कैलाश जी देखिये लास्ट वारनिंग है अगर सदन में बाहर की बात यहा हम मौजूद है कि बात हो जाये तो ठीक है बाहर की बात हुयी तो उसको बाहर निकाल दिया जायेगा। स्वाती जी एक बार रूकिये लास्ट वारनिंग है ....शोरगुल .... ठीक है अब आप सभी एक बार बैठ जाये, डायरेक्टर लॉ एक बार खड़े हो जाये यस या नो में जवाब दे दीजिये एक बार कि क्या यह रामकिशोर प्रजापत पार्षद है यह अपने बारे में पूछ रहा है कि मैं पार्षद हूं क्या, चैयरमेन हूं क्या, एक बार जवाब दे दीजिये हां या ना। हां या ना में पूछ रही हूं आपको। हां या ना में जवाब देने में डायरेक्टर लॉ अस्पष्ट है, आप बैठ जाये। अब यह प्रस्ताव पास करें, यह जवाब देने में असमर्थ है। प्रस्ताव पास करें .... शोरगुल .... प्रस्ताव पास करें, प्रस्ताव पास

लिखियें प्रस्ताव अनुसार प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है। अविलम्ब कार्य योजना लागू की जावें। अब आप सब भोजन के लिए आंमत्रित है।

निर्णय प्रस्ताव सं. 01 का (अ) (ब) व (स) बाबत
वाद विचार विमर्श सर्वेसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सं. 01 का (अ) (ब) व (स) प्रस्तावानुसार स्वीकृत किया जाता है। इसकी अविलम्ब कार्ययोजना शुरू की जावे।

प्रस्ताव सं. 02

जॉब बेसिस पर एजेंसी के माध्यम से अस्थाई अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति के लिए बोर्ड स्वीकृति प्रत्याशा में आमंत्रित की गई ई–निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत। उक्त के माध्यम से सफाई व्यवस्था हेतु नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के प्रत्येक वार्ड में 7–7 अतिरिक्त अस्थाई अकुशल सफाई श्रमिकों को लगाये जानें की स्वीकृति जारी किए जाने पर निर्णय हेतु।

प्रस्ताव सं. 02 (अ)

1.	कार्य / प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	जॉब बेसिस पर एजेन्सी के माध्यम से अस्थाई अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति के लिये बोर्ड स्वीकृति की प्रत्याशा में आमंत्रित की गई ई–निविदा की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।
2.	वित्तीय प्रभार	12 करोड 55 लाख
3.	बजट प्रावधान	आवश्यकतानुसार
4.	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत
5.	प्रकरण के संबंध में विधि राय	आवश्यकता नहीं
	आयुक्त / उपायुक्त की राय	नगर निगम ग्रेटर जयपुर में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने तथा सफाई कर्मचारियों की कमी एवं कमी पूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा करने हेतु दिनांक 07.07. 2021 को तत्कालीन महापौर महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 300 से 1000 अस्थाई अकुशल सफाई कर्मचारी जॉब बेसिस आधारित संविदा / एजेन्सी के माध्यम से रखे जाने / आपूर्ति के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाये। चूंकि इस कार्य निविदा आमंत्रित करने पर लगभग 12 करोड 55 लाख रूपये वार्षिक व्यय होने का अनुमान था जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का सक्षम अधिकारिता निगम साधारण सभा / बोर्ड में निहित था। तत्कालीन महापौर महोदय से हुई चर्चा अनुसार प्रकरण को वित्त समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कराने एवं

		निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया। वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.11.2021 को प्रस्ताव पारित कर राशि 12.55 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। आमंत्रित की गई निविदा में सफल संवेदक मैसर्स आर.एस. बी. सिक्योरिटी की दरें 290.02 रूपये प्रति श्रमिक प्रति दिन की न्यूनतम दर प्राप्त हुई। जिस पर फर्म को निविदा में स्वीकृत दर का आशय का पत्र (Letter Of Intent) जारी किया जा चुका है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर एवं फर्म के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। अतः बोर्ड स्वीकृति की प्रत्याशा में आमंत्रित की गई निविदा तथा निविदा पर होने वाले वार्षिक व्यय राशि 12.55 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु निगम साधारण सभा/बोर्ड के समक्ष चर्चा कर निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव सं. 02 (ब)

1.	कार्य/प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	सफाई व्यवस्था में सुधार पर चर्चा
2.	वित्तीय प्रभार	—
3.	बजट प्रावधान	—
4.	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम की किस धारा अथवा नियम के अन्तर्गत वांछनीय है।	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत
5.	प्रकरण के संबंध में विधि राय	आवश्यकता नहीं
6.	आयुक्त/उपायुक्त की राय	वर्तमान में नगर निगम ग्रेटर जयपुर के समस्त जोनों/ 150 वार्डों में निम्नानुसार मुख्य सफाई निरीक्षक/वार्ड सफाई निरीक्षक/सफाई कर्मचारी निम्नानुसार कार्यरत है।

क्र. सं.	जोन का नाम	कुल वार्ड संख्या	जोन वाईज कुल मुख्य सफाई निरीक्षकों की संख्या	जोन वाईज कुल सफाई निरीक्षकों की संख्या	जोन वाईज कुल स्थाई सफाई कर्मचारियों की संख्या

1	मुरलीपुरा जोन	21	1	15	384
2	विद्याधर नगर जोन	21	1	12	381
3	झोटवाडा जोन	22	2	14	311
4	मानसरोवर जोन	20	2	12	313
5	सांगानेर जोन	19	1	14	378
6	जगतपुरा जोन	21	1	13	465
7	मालवीय नगर जोन	26	4	21	929
	कुल योग	150	12	101	3161

सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन निम्नानुसार दो पारियों में कार्य किया जाता है प्रातः की पारी में प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं दोपहर की पारी में दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की सफाई व्यवस्था में सुधार पर चर्चा हेतु साधारण सभा/बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

जॉब बेसिस पर एजेंसी के माध्यम से अस्थाई अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति के लिए बोर्ड स्वीकृति प्रत्याशा में आमंत्रित की गई ई–निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत। उक्त के माध्यम से सफाई व्यवस्था हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर के प्रत्येक वार्ड में 7–7 अतिरिक्त अस्थाई सफाई श्रमिकों को लगाये जाने की स्वीकृति जारी किए जाने पर निर्णय हेतु।

श्री गोविन्द छीपाः– के द्वारा बताया गया कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर के प्रत्येक वार्ड में 7–7 अस्थाई अकुशल श्रमिको के माध्यम से सफाई कार्य करवाये जाने है। जबकि पार्षद द्वारा बताया गया कि कर्मचारी दो पारियो में कार्य करते है। जिसका समय प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बज तक निर्धारित है। जबकि इसकी 3:00 बजे पश्चात कर्मचारी अपने वार्ड में नही पाये जाते है। इसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की गई है जिसमें जमादार एवं सफाई निरीक्षक द्वारा बताया गया कि कर्मचारी सडक के दोनो ओर सफाई कार्य करते है।

अगर कर्मचारी प्रातः 7:00 से 11:00 बजे एवं 2:00 से 6:00 बजे तक वार्ड में नही पाया जाता है तो इसके खिलाफ कार्यवाही किसके द्वारा की जावेगी एवं किसकी अनुशंषा पर की जावेगी।

श्री राजेश जीः— ने सुझाव दिया कि प्रत्येक वार्ड में 7—7 अस्थाई अकुशल श्रमिको के बजाय स्थाई कर्मचारियों को लगाया जावे। इनकी मॉनिटरिंग भी पर्याप्त रूप से नही की जाती है। अस्थाई अकुशल श्रमिको का जोन वार्डज टेण्डर किया जावे जिसकी की मॉनिटरिंग भी सही से की जा सकें।

श्री बाबूलाल जीः— ने बताया कि उनके वार्ड में कर्मचारी पर्याप्त नहीं है जिसके कारण नियमित रूप से सफाई व्यवस्था बाधित होती है। वार्ड में लगाये गये अस्थाई सफाई श्रमिको का प्रमाणीकरण की व्यवस्था उपायुक्त एवं पार्षद के द्वारा की जावें।

श्री राजुला जीः— के द्वारा बताया गया कि वार्ड में कार्यरत कर्मचारियों में जातिवाद का मुद्दा रहता है। वार्डो में कार्यरत कर्मचारियों में से 5 से 7 कर्मचारी ऐसे होते है जो वार्ड में सफाई का कार्य नही करते है। अब जो आप 7—7 कर्मचारियों उपलब्ध करवा रहे हो उनमें में ऐसा ही अनुपात होगा। अन्य समाज के कर्मचारी जमादार एवं सफाई निरीक्षक के पद पर कार्य करते है परन्तु उनके द्वारा झाडू नही लगाई जाती हैं। इससे सफाई करने वाले कर्मचारियो की संख्या कम हो जाती है।

श्री शक्ति प्रकाश यादवः— ने कहा कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं दोपहर 11:00 बजे से 2:00 बजे तक का है। जबकि दोनो पारियों के समय के अंतराल में सफाई कर्मचारी अपने वार्डो में उपस्थिति नहीं पाये जाते है। इनके समय में संशोधन किया जाना उचित होगा। मेरे अनुसार इनका समय प्रातः 7:30 बजे से 2:30 बजे तक या 8:00 बजे से 3:00 बजे तक किया जाना उचित होगा।

श्री लादूराम दुलारियाः— ने सुझाव दिया गया कि पार्षद के क्षेत्राधिकार में किये जाने वाले सभी कार्यो का प्रमाणीकरण पार्षदो के द्वारा किया जाना चाहिए। पार्षदों की किसी भी बात को अधिकारियों एवं सफाई निरीक्षकों के द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जाता है। जो भी बिल भुगतान के लिए उपलब्ध करवाया जाता है उसकी अभिशंषा पार्षद द्वारा की जानी चाहिए। नगर निगम ग्रेटर में कुल 3718 कर्मचारी है। जो वार्डो में सफाई का कार्य करते हैं। वार्ड हाजरीगाह पर बायोमैट्रिक मशीन को लगाया जाना उचित होगा। जिससे की पता लगासया जा सके कि वार्ड में कार्यरत कर्मचारी कितने बजे आ व जा रहा है।

श्री महेन्द्र शर्माः– के द्वारा बताया गया कि नगर निगम का मुख्य कार्य सफाई का है। आज सफाई व्यवस्था के सुपरविजन का कार्य ठीक तरह से नही किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी द्वारा कार्य किया गया है एवं कहा पर किया गया है। जिसका निरीक्षण मुख्य सफाई निरीक्षक के द्वारा प्रातः 9:00 बजे तक किया जाना है। सफाई कर्मचारी के द्वारा किये गये कार्य की मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक के द्वारा जांच सही से की जानी चाहिए। कुछ अधिकारियों के द्वारा तो पार्षदों को सही से जवाब भी नही दिया जाता है। मेरे वार्ड में 12 सफाई कर्मचारी है जिसमें से 2 संस्पेड एवं 1 विकलांग है जो कार्यालय में कार्यरत है। मेरे पास टोंकरोड एवं हल्दीघाटी मार्ग क्षेत्र का एरिया आता हैं। श्रीमान जी से कहना चाहता हू कि वार्ड में कार्यरत कर्मचारियों क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर समानीकरण होना चाहिए। कर्मचारियों का वार्ड में ट्रांसफर होता रहना चाहिए जिसकी समय सीमा निर्धारित होना चाहिए।

श्री दीपक असवालः– ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में सात कर्मचारियों की जगह 10 कर्मचारी होना चाहिए। मेरे पास अक्षयपात्र एवं एयरपोर्ट का इलाका आता है।

श्री पुनित कर्णावट (उपमहापौर) :– नें कहा कि सभी लोग 10 कर्मचारी चाहते है मेयर साहिबा की भावना 10 कर्मचारी देनें की है हम सभी इस का स्वागत और अभिनंदन करते है अभी एक लंबी प्रक्रिया के बाद 7 कर्मचारियों का हमारा टेण्डर हो चुका है उसका पैसा जमा हो चुका है उसका वर्क ऑर्डर जारी होते ही अगलें 7 दिन में हमें 7 कर्मचारी उपलब्ध हो जाएंगें और तीन कर्मचारी आरटीटीपी एक्ट के तहत बढकर महीनें डेढ महीनें में मिल जाएंगें यानि 7 दिन में सात कर्मचारी मिल जाये और अगलें 15 दिन में तीन कर्मचारी मिल जायगें तो हमस ब मेरे साहिबा का धन्यवाद् करते है मैं एक विषय पर कहना चाहूंगा अभी कमिश्नर साहब बता रहे थे 7145 स्थाई कर्मचारी उपलब्ध है हमारे पास 5–10 कर्मचारी ऊपर नीचे हो सकते है पर कर्मचारी हमारे पास 3700 इतना बडा जो डेफिसिट है वह दो तरीके से हो सकता है हैरिटेज से समानीकरण करके उनका 40 परसेंट इलाका है हमारा 60 परसेंट है उनके 100 वार्ड है हमारे 150 वार्ड है या तो सारे का सामान्य करण कर दे सकरार हमारे यहां जो 7145 को जो कमी है उनको पूरा करने की अनुमति दे। मेरा मेयर साहिबा आपसे निवेदन है है कि ग्रेटर की साधारण सभा से बडी कोई सभा नही है आप की सहमति से आपकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव हमें पास करा चाहिए और राज्य सरकार को भिजवाया जाना चाहिए कि वह हमारे साथ भेदभाव बंद करे जो हमारा हक है जो 7145 में जितना शेष बचा है उसे पूरा करें कि विशेष रूप से मेरा कांग्रेस के पार्षद मित्रों से कहा चाहूंगा कि आप की सरकार है अच्छी सरकार है, जाती हुई सरकार है इस पर कांग्रेस पार्षद द्वारा तेज विरोध किया गया है यह काम करवा दो आपकी सरकार मजबूत सरकार है। 7145 और 3700 में जितनी कमी है अगर वह 1 महीनें में आप पूरा करवा लोगे तो हम कहेंगें आप की सरकार मजबूत है हम

आपके साथ है और आपके साथ चलेगें मेरा मेयर साहिबा से कहा है कि प्रस्ताव पास करके भिजवाकर कहे कि हमारा समानीकरण करवाद रे हैरिटेज वालें भी, हमारे अपनें लोग है, गोविन्ददेव जी और मोती डूंगरी को अलग नही किया जा सकता। **आपसी वार्तालाप.....**के बाद महापौर महोदया नें कहा कि अपनें स्थान पर बैठे। सभी सदस्यों से पूछा कि इस प्रस्ताव पर सभी सहमत है, सभी सदस्यों नें कहा कि हम सब सहमत है, सब लोगों नें प्रस्ताव पास करनें के लिए सहमति दी। महापौर महोदया नें कहा कि सदस्य सचिव से कब तक कितने समय तक यह 7 कर्मचारी उपलब्ध हो जायेगें। बीच में उपमहापौर नें कहा कि 7 कर्मचारी 7 दिन में मिल जायेग तथा 1 महीनें 3 मिल जायेंगें इसके लिए आप सदन को आश्वासन दे दीजिए।

आयुक्त :– नें कहा कि 7 कर्मचारियों के संबंध में मैंनें अभी फोन पर संबंधित संवेदक से बात की उसनें बताया 1 तारीख को 7 कर्मचारी उपलब्ध करवा दिए जायेगें।

मेयर इस पर तीन–तीन कर्मचारी के बारें में पूछा जिसके प्रत्युत्तर में जैसा कि उपमहापौर नें बताया कि 3 कर्मचारियों के लिए प्रोसेस करना सेंशन करना पडेगा उसको फरदर ऑर्डर देना पडेगा 50 आदमियों सव जो व्यवस्था करनी है वह भी सफाई कर्मियों के लिए जनरल कामों के लिए तो मैनपावर मिल जाती है इस सफाईकर्मी के लिए।

महापौर महोदया :– नें कहा कि लिमिट बढ सकती है, कर्मचारियों के लिए उनती बढा दीजिए। जिस पर आयुक्त नें कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूं।

श्रीमति मीनाक्षी शर्मा :– नें कहा इन सफाईकर्मियों की जिम्मेदारी किसकी होगी। इनका वेरीफिकेशन कौन करेगा।

आयुक्त :– नें जानकारी दी कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी एक्ट और निविदा शर्ते जो हमनें तैयार की है उसके अनुसार संबंधित सीआई/एसआई, पार्षद और डीसी के अनुमोदन के पश्चात भुगतान होगा वह भी सीधे व्यक्ति के अकांउट में होगा, जिसका पीएफ/ईएसआई कटता होगा। राजस्टाान ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत होता है किसी और के अकाउंट में भुगतान हो ही नही सकता है या टेण्डर की शर्तों में बिल्कुल लिखा है।

श्रीमति मीनाक्षी शर्मा :– नें कहा यह बहुत हास्यास्पद बात है कि अगर ऐसा है तो हेरिटेज में यह समस्या आ रही है क्योंकि वहां कर्मचारी मिल ही नही रहे है क्योंकि भुगतान समय पर नही हो रहा है। ठेकेदार कहां–कहां जायेगा, पार्षद के पास जायेगा, एसआई के पास जायेगा, सीएसआई के पास जायेगा, तो उसका वेरिफिकेशन होगा ही नही।

महापौर महोदया :– नें कहा कि मीनाक्षी जी आप थोडा इंतजार कर ले 1 तारीख तक इंतजार करकर देखे, जो निविदा है इसमें अगर 25 परसेंट बढेगा तो 25 परसेंट बढा दिया जाये अगर 50 परसेंट बढेगा डायरेक्टर लॉ से पूछ कर तो 50 प्रतिशत भी बढाया जायेगा और अधिकतम

कर्मचारी बढनें पर आप सबको दिए जायेगा 01 तारीख तक क्योंकि इनका कहना है कि 3 कर्मचारियों के लिए प्रोसेस पर शुरू किया जायेगा और इसमें समय लगेंगा। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अधिकतम इस निविदा में कितनें कर्मचारी बढ सकते है और सभी कर्मचारियों को समान रूप से वितरित किया जाये।

श्रीमती तारा बेनीवालः– नें कहा कि 7 कर्मचारियों का आपनें हमें झुनझुना पकड दिया है उसी तरह जैसे पिछलें साल भी आपनें दो कर्मचारियों को झुनझुना दिया था खेलनें के लिए।

महापौर महोदयाः– नें कहा कि मेरी बात सुनिए अगर 25 प्रतिशत बढते है तो 1250 र्कचारी होते है और 50 प्रतिशत बढते है तो 1500 कर्मचारी होते है क्योंकि एक्स्ट्रा कर्मचारियों के लिए फिर से प्रोसेस में जाएगा आपकों पता है पिछलें बोर्ड वाली अभी तक पूरी नही हुई है अगर 25 प्रतिशत का भी संभव है 1250 का समान रूप से वितरण कर दिया जायेगा। सचिव नोट कर ले कमिश्नर नें 1 तारीख तक के लिए बोला है इस रिकॉर्ड कर लिया जाए क्या इस प्रस्ताव को पास किया जाए और सभी सदस्यों द्वारा कहा गया कि पास कर दिया जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति पास किया जाता है। उसके पश्चात् वेरिफिकेशन पार्षद, डीसी स्तर से हो।

श्रीमती सुशीला बारी :– नें कहा कि सब पार्षदों से पूछना चाहूंगी कि विकंलाग कोटे से आने वालें कर्मचारियों को कौन रखनें के लिए तैयार है। बीच में महापौर महोदया नें कहा कि सचिव इसे नोट कर ले।

श्री आशीष :– नें कहा कि पिछली बार बोर्ड सभा में 2 कर्मचारी पार्षद कार्यालय के लिए दिए थे मैं पूछना चाहता हूं इस बारें में 7 कर्मचारियों में से दो कर्मचारी पार्षद कार्यालय के लिए है या नही। कार्यालय के दो कर्मचारी अलग से दोगें। इस पर महापौर महोदया नें सदस्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा। क्या कर्मचारियों की मॉनिटरिंग सीएसआई/एसआई से होगी तो बाद में एक भी कर्मचारी नही पहुंच पाएगा इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनकी मॉनिटेरिंग सीएसआई/एसआई से ना होकर सीधे पार्षद से हो और अगर पार्षद के लिए दो कर्मचारी दे रहे है तो यह पार्षद पर छोडे कि वह कर्मचारी पार्षद ऑफिस के लिए है।

महापौर महोदया :– नें कहा कि प्रस्ताव सं. 2 हो चुका है अगर नियम प्रावधानों में 25 प्रतिशत बढोत्तरी का है तो 25–50 प्रतिशत है तो कर्मचारी बढाये जायेगें क्योंकि नई निविदा में समय लगता है तो समय ना जाते हुए हर वार्ड में अधिकतम कर्मचारी दिये जायेगे।

निर्णय प्रस्ताव सं. 02 का (अ) व (ब) बाबत
वाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार जॉब बेसिस एजेंसी के माध्यम से अस्थाई अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति के लिए आमंत्रित ई–निविदा स्वीकृत की जाती है। नियमो व प्रावधानों के अन्तर्गत 25 प्रतिशत की बढोत्तरी कर प्रत्येक वार्ड में 8–8 अकुशल श्रमिक आपूर्ति एवं शेष अकुशल श्रमिक को रिजर्व रखनें का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 03

निगम की प्रशासनिक कार्य प्रणाली के सरलीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति बाबत।

1	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	02 वर्ष से एक ही प्रकोष्ठ पर कार्य कर रहे कार्मिकों के पदस्थापन अन्यत्र करने के बाबत कार्य के निर्बाध एवं पारदर्शिता पूर्ण संचालन की दृष्टि से नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय में एक ही अनुभाग में एक ही प्रकोष्ठ में 02 वर्ष से कार्य कर रहे कार्मिकों का परस्पर पदस्थापन किया जाना उचित होगा।
2	वित्तीय प्रभार	
3	बजट प्रावधान	
4	मण्डल की स्वीकृति अधिनियम	
4	विधिक राय	
5	उपायुक्त (कार्मिक) की राय	कार्य के निर्बाध एवं पारदर्शिता पूर्ण संचालन की दृष्टि से नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय में एक ही अनुभाग में एक ही प्रकोष्ठ में 02 वर्ष से कार्य कर रहे कार्मिकों का परस्पर पदस्थापन किया जाना उचित होगा। अतः स्वीकृति बाबत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
7	प्रस्ताव	कार्य के निर्बाध एवं पारदर्शिता पूर्ण संचालन की दृष्टि से नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय में एक ही अनुभाग में एक ही प्रकोष्ठ में 02 वर्ष से कार्य कर रहे कार्मिकों का परस्पर पदस्थापन किया जाना उचित होगा। अतः स्वीकृति बाबत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

श्री जितेन्द्र श्रीमाली :– नें कहा कि सुबह 4, 5 व 6 घण्टे से हमारे यहां जो पार्षद साथी है। वह जो अपनी बात कह रहे है, यह इनके पिछले 17 महिनें का इनके मन का दर्द है, जो जनता के द्वारा जो रोज इनकों थपेड पडते है कानो में, वह दर्द बोल रहे है, मैं यह कहना चाह रहा हूं शायद 5–6 घण्टे बैठनें वाले जो अधिकारी है, इस बात का एसाहस हुआ है कि 5 घण्टे से यहां जो अपनें मन का उद्‌गार करे रहे है कि किस प्रकार से एक–एक पार्षदों को आप अपने क्षैत्र के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पडता है, पार्षद सुबह से लेकर शाम तक वह सभी के सामनें है। मैं यह कहना चाहूंगा मैडम जब से जब से यह बोर्ड बना है और तब से लेकर अभी तक पार्षदों को लेकर के हम क्या हम, पार्षद है कि नही है, हमारी क्या स्थिति है अभी सब बता रहे थे कि हाजरी उपस्थिति के अंदर कॉट–छॉट करते है यह सारी स्थितियां जो बनी है जो पूर्व पार्षद है उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं, तो उन्होनें बताया कि शायद इस प्रकार का बोर्ड आज तक जयपुर शहर के अंदर नही चला, जिस प्रकार अभी चल रहा है, उसका एक मात्र कारण यह है महापौर जी क्योंकि, यहां जिस प्रकार से अधिकारी ए से जेड तक सफाई व्यवस्था से लेकर **बीच में महापौर महोदया** नें कहा कि जितेन्द्र जी ये प्रस्ताव सं. 03 प्रशासनिक कार्यप्रणाली के सरलीकरण के प्रस्ताव के लिए है।

श्री जितेन्द्र श्रीमाली :– नें अपनी बात को आगे बढाते हुए कहा कि मैं उस प्रस्ताव से पहले यह रखना चाहता हूं कि नगर निगम की कार्यप्रणाली का सरलीकरण नही बल्कि कठिनकरण किया गया है, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि नगर निगम की प्रणाली का जो कठिनकरण किया गया है 17 महिनों उसको मैं रखना चाहा रहा हूं कि यहां पर आयुक्त महोदय के द्वारा जिस प्रकार से एक पूरे निगम को, पूरे सदन को गुमराह करके, जिस प्रकार का यह कार्य किया गया, उसके लिए मैं निन्दा प्रस्ताव लेकर आया हूं, और मैं यह चाहता हूं कि पिछले–पिछले, सुनिए–सुनिए निन्दा प्रस्ताव लेकर आया हूं। **इस दौरान बीच में** कई सदस्यों द्वारा शेम शेम के नारे लगाये गये।

श्री जितेन्द्र श्रीमाली :– नें अपनी बात को आगे बढाते हुए कहा कि मैं चाहता हूं मैं सब लोगों के लिए यह सिर्फ मेरी पीडा नही है यहां पर यह, वह प्रस्ताव है जो शायद इन्होनें तो कल की कही है और आज जिस प्रकार से अखबार की सुर्खियां में बोल रही है, दैनिक भास्कर में जिस पर की बात आयी है कि यहां पर इस पूरे नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस भ्रष्टाचार के गैग का लीडर कौन, यहां के आयुक्त महोदय यह अखबार में छपा है, जिसे हम बोल रहे है। इस बीच सदन में शौरगुल..........

आयुक्त :– नें सदन में कहा कि श्रीमाली जी मेरी बात सुन लीजिए, दूसरों की बात सुनने का मादा भी रखिए। ये जो आरोप लगानें की बात आयी है शोरगुल............ आगे की बात अस्पष्ट...... यह कहते हुए अंगुली से ईशारा करते हुए अधिकारी कर्मचारियों के साथ बिना अध्यक्ष महोदया की अनुमति से सदन से बाहर चले गये।

साधारण सभा के बैठक के दौरान आयुक्त एवं अन्य निगम अधिकारीगण / कर्मचारीगण उठकर चले गये, जिससे आगे की बैठक कार्यवाही बाधित हो गई और बोर्ड बैठक की कार्यवाही नहीं हो पाई। इसलिए बोर्ड मिटिंग के शेष ऐजेण्डे प्रस्ताव संख्या 3,4,5 सदस्य सचिव एवं अन्य अधिकारीगण / कर्मचारीगण के अनुपस्थिति के कारण उस दिन पर बोर्ड मिटिंग में चर्चा कर कार्यवाही नहीं हो सकी।

महापौर
एवं अध्यक्ष साधारण सभा
नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

आयुक्त
एवं सचिव साधारण सभा
नगर निगम, ग्रेटर जयपुर